आयकर अपीलीय अधिकरण परिवार के सदस्यों की साहित्यिक रचनाओं का संग्रह

सृजन

जनवरी 2015 - मार्च 2016

भारत सरकार
विधि एवं न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
आयकर अपीलीय अधिकरण

Government of India
Ministry of Law & Justice
Department of Legal Affairs
INCOME TAX APPELLATE TRIBUNAL

केवल विभागीय प्रयोजन हेतु

FOR DEPARTMENTAL PURPOSE ONLY

सृजन

जनवरी 2015 – मार्च 2016

श्री राजेन्द्र
लेखा सदस्य एवं
अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति

संरक्षक

जस्टिस देव दर्शन सूद
माननीय अध्यक्ष
आयकर अपीलीय अधिकरण

मुख्य संपादक

श्री राजेन्द्र
लेखा सदस्य एवं
अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति, मुंबई

उप संपादक

श्री बिजु पी के, सहायक पंजीकार, मुंबई
श्रीमती आशा पाल, वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक, मुंबई

डिज़ाइन & टंकण

श्री एम एन वीरावधानी, उ.श्रे.लि., विशाखपट्टणम
श्री तरुण कुमार, उ.श्रे.लि., मुंबई

प्रकाशन एवं मुद्रण
आयकर अपीलीय अधिकरण,
तीसरा एवं चौथा तल, प्रतिष्ठा भवन,
101, महर्षि कर्वे मार्ग, मुंबई - 400020
वेबसाईट: http://itat.nic.in

Please send your feedback to:
hindi.ho@itat.nic.in

संपादकीय

पारम्परिक आश्रम व्यवस्था में आयु का 75वां वर्ष वानप्रस्थ से सन्यास आश्रम जाने का वर्ष माना जाता था। व्यक्ति की क्षीण होती शक्तियों,क्षमताओं और इन्द्रियों को ध्यान में रखकर यह व्यवस्था की गई कि वह सक्रिय जीवन से हट जाय। पर व्यक्ति () और संस्था () की जीवन में यही मूल अंतर है। संस्था बढती आयु के साथ अधिक उपयोगी होती जाती है। इस वर्ष अपनी प्लेटिनम जयंती मनाने वाला आयकर अपीलीय अधिकरण भी समय के साथ अधिक उपादेय हो गया है।

प्लेटिनम जयंती के अवसर पर 24 और 25 जनवरी को दिल्ली के अशोक होटल में जो भव्य कार्यक्रम हुए वे अद्भुत,अतिविशिष्ट और अकल्पनीय थे। उनकी भव्यता देखने और अनुभव करने का अवसर जिसे भी मिला वह अभिभूत हो गया। भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदय,सर्वोच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय,माननीय वित्त मंत्री और माननीय विधि मंत्री ने समारोहों की शोभा बढाई। इस अवसर में पाँच रूपये का डाक टिकट भी जारी किया गया। ये समारोह अधिकरण के इतिहास में मील के पत्थर के समान हैं जिन्हें आने वाले समय में सदैव याद रखा जाएगा। इन समारोह की परिकल्पना से लेकर त्रुटिहीन निष्पादन के लिए अधिकरण के माननीय अध्यक्ष महोदय ने दिन रात जो अथक प्रयास किए उसकी जितनी प्रशंसा की जाय कम है। उनके योग्य नेतृत्व में अधिकरण के सदस्यों और कर्मचारियों ने कीर्तिमान समय में समारोहों को सफल आयोजन किया। वे सभी बधाई के पात्र हैं।

प्लेटिनम जयंती वर्ष में वार्षिक पत्रिका का नाम सृजन रखने का निर्णय लिया गया है। यह पत्रिका अधिकरण के रचनाधर्मी सदस्यों के मौलिक लेखन का प्रमाण है। इसमें आपको कहानी, कविता, गजल, निबंध तथा संस्मरण जैसी विभिन्न विधाओं में किए गए सृजन का इन्द्रधनुषी संगम देखने की मिलेगा। इसमें नारी के प्रति संवेदना दर्शाती रचनाएँ हैं जो समाज के आधुनिक दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करती हैं। संपादन परिवार समस्त रचनाकारों का आभार प्रकट करना चाहता है। उनके सहयोग के बिना यह हमारा यह प्रयास कभी सफल नहीं हो पाता।

धन्यवाद।

राजेन्द्र

विवरणिका

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	संपादकीय	1
2	अध्यक्ष का पृष्ठ	3
3	आयकर अपीलीय अधिकरण(आईटीएटी) के अखिल भारतीय सदस्य सम्मेलन के उदघाटन अवसर पर भारत के राष्ट्रपति, श्री प्रणब मुखर्जी का भाषण	4 – 5
4	आयकर अपीलीय अधिकरण के प्लैटिनम जुबली समारोह के छायाचित्र	6 – 7
5	ताकि कोई भूखा न सोए - श्री कौशल कुमार, सहायक पंजीकार, कोलकाता पीठ	
6	कहानी- कर्तव्य (भाग-2) श्री कौशल कुमार, सहायक पंजीकार, कोलकाता पीठ	
7	संयम का विवेक - श्रीमती आशा पाल, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक, मुंबई पीठ	
8	दिखावे का नतीजा - श्री अभिनव गवंडे, सहायक, मुंबई पीठ	
9	आध्यात्मिक लेख - श्री राजगोपालन अय्यंगार, प्रधान लिपिक, मुंबई पीठ	
10	मंथन - श्री एस.के. पांडे, प्रधान लिपिक, लखनऊ पीठ	
11	सावन और त्योहार - सुश्री उल्का परब, सहायक, मुंबई पीठ	
12	मॉल कल्चर - श्रीमती वैशाली सुभाष शिंदे, प्रधान लिपिक, मुंबई पीठ	
13	बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर - श्रीमती स्मिता येवल, प्रधान लिपिक, मुंबई पीठ	
14	टूटते रिश्ते - श्रीमती श्रीदेवी नायर, प्रधान लिपिक, मुंबई	
15	डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलामः जनता के राष्ट्रपति- श्रीमती स्वाति दाते, पुस्तकालयाध्यक्ष, मुंबई पीठ	
16	नये नोट की गड्डी- श्री अशोक सिंह, उच्च श्रेणी लिपिक, जबलपुर पीठ	
17	ईश्वर का संदेश- श्री अशोक सिंह, उच्च श्रेणी लिपिक, जबलपुर पीठ	
18	प्यारी बिटिया- श्री अशोक सिंह, उच्च श्रेणी लिपिक, जबलपुर पीठ	
19	नारी शिक्षा का महत्व- श्री जयशंकर कुमार सिंह, अवर श्रेणी लिपिक, कोलकाता पीठ	
20	अगले जनम मुझे बिटिया ही देना- श्री जयशंकर कुमार सिंह, अवर श्रेणी लिपिक, कोलकाता पीठ	
21	ए जिंदगी(स्वरचित)- श्री सुनील, अवर श्रेणी लिपिक, नागपुर पीठ	
22	पर्यावरण संरक्षण- श्रीमती शीतल श्रीहरि घोटगे, अवर श्रेणी लिपिक, मुंबई पीठ	
23	आवारगी का ईश्क- श्री पंकज वर्गी, अवर श्रेणी लिपिक, अहमदाबाद पीठ	
24	कोई शख्स है कहीं पे- श्री पंकज वर्गी, अवर श्रेणी लिपिक, अहमदाबाद पीठ	
25	बेटी कैसी होती है- श्री विजेन्द्र तिवारी, एम.टी.एस., कोलकाता पीठ	
26	यह कैसी विदाई पापा- श्री राजकुमार मिश्रा, एम.टी.एस., जबलपुर पीठ	
27	न्यायिक आदेश	
28	न्यायिक आदेश	
29	सेवानिवृत्तियां	
30	बुलेटिन, जनवरी-दिसंबर, 2014 के लिए पुरस्कृत विजेताओं की सूची	
31	मुंबई पीठ में हिंदी पखवाड़ा-2015 के छायाचित्र	

सत्यमेव जयते

जस्टिस देव दर्शन सूद
अध्यक्ष
आयकर अपीलीय अधिकरण

अध्यक्ष का पृष्ठ

प्रिय भाईयों एवं बहनों,

हर वर्ष की भाँति इस वर्ष भी हम विभागीय राजभाषा पत्रिका प्रकाशित कर रहे हैं - परंतु, एक नये नाम और कलेवर के साथ। 'सृजन' नामक इस पत्रिका का प्रकाशन मेरे लिये हार्दिक प्रसन्नता का विषय है।

मुझे ज्ञात है कि पत्रिका के लिये जिन अधिकारियों और कर्मचारियों की रचनाएँ प्रकाशित हो रही हैं उनमें से कोई भी अनुभवी लेखक या कवि नहीं है। सबने शौकिया तौर पर लिखा है। इसके बावजूद सभी रचनाएँ उच्च स्तर की हैं। इसके लिये मैं सभी रचनाकारों को बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अगले वर्ष हमें और अधिक अधिकारियों तथा कर्मचारियों की रचनाएँ पढ़ने मिलेंगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी विभागीय पत्रिका गिनती उत्कृष्ट स्तर की पत्रिकाओं में जाएगी। पर, मैं चाहता हूँ कि तकनीकी विषयों को पत्रिका में अधिक स्थान मिले।

जनवरी, 2016 में अधिकरण ने अपनी पचहत्तरवीं वर्षगाँठ मनायी। इस ऐतिहासिक अवसर को अधिकारियों और कर्मचारियों ने दिन-रात मेहनत कर सफल बनाया। इसके लिए उन्हें मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। उनकी लगन और दृढ़ इच्छा शक्ति के बिना यह कार्य कभी पूरा नहीं हो सकता था।

भारत विविधताओं का देश है-यहाँ विविध भाषाओं को बोलने वाले और रीति-रिवाजों को मानने वाले लोग सौहार्द्रपूर्वक रहते हैं। अधिकरण के कार्यालयों में सभी प्रांतों के और भाषाओं के लोग कार्यरत हैं। राजभाषा को कार्यालयीन स्तर पर प्रोत्साहन देना हमारा कर्तव्य है। अतः हमें प्रयास करना चाहिए कि सभी पीठों में राजभाषा का प्रयोग सतत बढ़ता रहे। मैं इस सूत्र में विश्वास करता हूँ कि राजभाषा में काम करना आसान है -बस शुरुआत भर करने की देर है।

प्रत्येक वर्ष हम हिंदी पखवाड़ा कार्यक्रम के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हैं और विजयी प्रतियोगियों को नकद पुरस्कार तथा प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित करते हैं। इस वर्ष हमने लगभग 50 प्रतियोगियों को हिंदी पखवाड़ा कार्यक्रम में नकद पुरस्कार तथा प्रमाण पत्र से सम्मानित किया। मैं चाहता हूँ कि अगले वर्ष और अधिक अधिकारी/ कर्मचारियों को पुरस्कार दिए जांए। परंतु,यह तभी संभव है जब बड़ी संख्या अधिकारी और कर्मचारी इसमें सम्मिलित हों।

धन्यवाद।

देव दर्शन सूद

आयकर अपीलीय अधिकरण(आयटीएटी) के अखिल भारतीय सदस्य सम्मेलन के उदघाटन अवसर पर भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी का भाषण

नई दिल्लीः 24 जनवरी, 2016

आज, आयकर अपीलीय अधिकरण ने करदाताओं को न्याय प्रदान कर राष्ट्र की सेवा करते हुए 75 साल पूरे किए हैं। इस महत्वपूर्ण अवसर पर, मैं आप सभी को बधाई देना चाहूंगा और आयकर अपीलीय अधिकरण परिवार को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आशा करता हूं कि यह आने वाले वर्षों में राष्ट्र को और अधिक प्रभावशाली और उपयोगी सेवाएं प्रदान करेगा। 1941 में अपने प्रारंभ से ही आयकर अपीलीय अधिकरण ने कराधान मामलों में न्याय प्रदान करने में नए मानक स्थापित किए हैं। आयकर अपीलीय अधिकरण के स्थापित नमूने को ही अप्रत्यक्ष कर, प्रशासन, रेलवे, विदेशी मुद्रा आदि अधिकरणों की स्थापना के लिए प्रयोग किया गया है। अन्य अधिकरणों के गठन में आयकर अपीलीय अधिकरण के स्थापित नमूने का प्रतिरूप ही इसे देश के 'अधिकरणों की जननी' बनाती है।

2. भारत में आयकर 1860 के अधिनियम के द्वारा पेश किया गया था। सन् 1941 में अधिकरण की स्थापना तक, कर संबंधी विवादों का न्यायिक निर्णय आंतरिक प्रशासनिक तंत्र के द्वारा किया जाता था जिसमें निष्पक्षता एवं स्वतंत्रता का अभाव था। प्रत्यक्ष कर मामलों में न्याय प्रदान करने हेतु अधिकरण की स्थापना ने निष्पक्ष, सरल एवं तीव्र न्याय की नींव रखी।

देवियों और सज्जनों,

3. भारतीय अर्थव्यवस्था में पिछले कुछ वर्षों में एक बड़ा परिवर्तन आया है। जब 24 जुलाई, 1860 में भारत में आय कर पेश किया गया, 1860-61 में प्रत्यक्ष करों का संग्रह 30 लाख रुपये था। जबकि वर्ष 2015-16 में प्रत्यक्ष कर संग्रह का अनुमान 7.98 लाख करोड़ है। यह शुरूआत के बाद से भारत में प्रत्यक्ष कर के बढ़ते महत्व को दर्शाता है।

देवियों और सज्जनों,

4. आयकर अपीलीय अधिकरण प्रत्यक्ष कर के मुकदमेबाजी में निर्णायक तथ्यान्वेषी प्राधिकारी है और करदाता एवं प्रशासन के बीच नजदीकी संबंध बनाए रखते हुए व्यवस्था में विश्वास उत्पन्न करने में सक्षम है। अधिकरण की स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण है।

5. कराधान प्रणाली की जटिलता और चुनौतियां करदाताओं के लिए कष्टकारी हो सकती हैं। विवादों का त्वरित समाधान करदाताओं के कष्टों को कम करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। त्वरित न्याय के लिए संस्थान में उच्च श्रेणी का विधिक, तकनीकी एवं प्रौद्योगिकीय विशेषज्ञता आवश्यक है। इसके लिए तेजी से बदलते विधिक और आर्थिक पारिस्थितिकी तंत्र में निरंतर ज्ञान का अद्यतनीकरण भी आवश्यक है। मुझे यह जानकर खुशी हो रही है कि आयकर अपीलीय अधिकरण को अपने कार्यों के लिए

यूएनडीपी (UNDP) द्वारा मान्यता प्रदान की गई है और यह विकासशील देशों, जैसे- घाना और नाइजीरिया के कराधान न्यायपालिकाओं का मदद कर रहा है। जब मुकदमेबाजी प्रबंधन प्रणाली प्रारंभिक अवस्था में है, मैं आयकर अपीलीय अधिकरण को कर क्षेत्राधिकार में प्रमुख भूमिका निभाते हुए देखना चाहूंगा।

6. पिछले कुछ वर्षों में प्रत्यक्ष कर के मुकदमों में तेजी से वृद्धि हुई है। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के साथ प्रत्यक्ष करों एवं करदाताओं की संख्या काफी हद तक बढ़ गई है जिससे कर विवाद निवारण प्रणाली पर दबाव पड़ा है। सरकार ने पूरे देश में आयकर अपीलीय अधिकरण के पीठों की संख्या को बढ़ाते हुए इन चुनौतियों का सामना किया है। आज देश के 27 जगहों पर आयकर अपीलीय अधिकरण की 63 पीठें है। कर विवादों की बढ़ती प्रवृत्ति और कर संबंधी मुकदमों में निहित विशालता ने एक नए कराधान मुकदमेबाजी प्रबंधन प्रणाली की आवश्यकता को उत्पन्न कर दिया है।

7. ट्रांसफर प्राइसिंग, अंतराष्ट्रीय कराधान, डिजीटल इकोनोमी कराधान आधुनिक जटिल अर्थव्यवस्था में कराधान के सीमांत क्षेत्र हैं जिनके लिए विशेष कौशल की आवश्यकता है। पिछले कुछ वर्षों में, कर विभाग ने क्षमता को बढ़ाकर चुनौतियों का सामना करने का प्रयास किया है। भारत को कर न्यायपालिका प्रणाली में वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बनाए रखने के लिए इस क्षेत्र में बढ़ते विवादों की संख्या के कारण कर विभाग और कर न्यायपालिका दोनों में प्रशिक्षित लोगों की आवश्यकता है। मुझे सूचित किया गया है कि सदस्यों के अखिल भारतीय सम्मलेन के तकनीकी सत्र के दौरान आप कराधान के निम्नलिखित तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विचार-विमर्श कर रहे हैं-

(i) सीमा पार से लेनदेन पर कर न्यायशास्त्र
(ii) न्याय वितरण प्रणाली में तकनीक का उद्भव
(iii) कर मुकदमेबाजी अर्थात भारत में व्यापार करने में सुविधा

स्थिर, निष्पक्ष और न्यायसंगत कराधान व्यवस्था प्रदान करने के लिए ये तीनों कराधान नीति और मुकदमेबाजी प्रबंधन प्रणाली के महत्वपूर्ण घटक हैं। मैं इन महत्वपूर्ण विषयों को विचार-विमर्श हेतु चयन करने के लिए आयोजकों को बधाई देता हूं।

8. तकनीक के कारण, व्यापार की गति तेजी से बढ़ी है। तकनीक की समझ रखने वाले उद्यमी एवं वैश्विक भारतीय प्रणाली के सबसे अच्छी प्रथाओं के अनुसार न्याय वितरण प्रणाली की मांग करते हैं। इकीसवीं शताब्दी के उद्यमियों की अपेक्षाओं को पूरा करना एक चुनौतीपूर्ण काम है। मैं आशा करता हूं कि आयकर अपीलीय अधिकरण परिवार और विधि एवं न्याय मंत्रालय इन चुनौतियों का सक्रियता से सामना करेगा।

9. कर विवाद समाधान प्रणाली निवेश को बढ़ावा देने और व्यापार को आकर्षित करने के लिए तंत्र का एक अभिन्न अंग है। जैसा कि भारत आने वाले समय में अपने को एक आकर्षक निवेश गंतव्य देखता है, इस तंत्र में आप सभी को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। विश्व बैंक समूह 2016 के रिपोर्ट के अनुसार 'व्यापार करने की सुविधा' में भारत को 130 स्थान दिया गया है। इस स्थिति में सुधार किया जाना चाहिए। तीव्र न्याय, संगत आदेश, निष्पक्ष दृष्टिकोण और व्यापार उन्मुख मुकदमेबाजी प्रबंधन प्रणाली के द्वारा आप सर्वविदित, भारत की उन्नति की कहानी में सहयोग कर सकते हैं।

10. ई-कोर्ट की पहल, जिसमें अधिकरण के सदस्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से छोटे स्टेशनों के मामलों का निपटान कर रहे है, प्रशंसनीय है। आयकर अपीलीय अधिकरण, अहमदाबाद के सदस्यों ने एक महीने में राजकोट पीठ के 300 मामलों का निपटारा करके एक उदाहरण स्थापित किया गया है, जो सदस्यों की ओर से तकनीक पर आधारित नई प्रक्रियाओं और कार्यप्रणाली को अपनाने में उनकी तत्परता का संकेत है। आपको इस तरह के युक्तियों को पूरे देश में दोहराने की जरूरत है और करदाताओं के दरवाजे तक कराधान न्याय पहुंचाने का एक सच्चा प्रतीक बनना है।

देवियों और सज्जनों,

11. किसी संगठन के जीवन में पच्छतर वर्ष एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इतन वर्षों में, आयकर अपीलीय अधिकरण ने स्वयं को एक ऐसे संगठन के रुप में स्थापित किया है जो सर्वोत्तम प्रथाओं का अनुगमन करता है और हमेशा विकसित होने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं आशा करता हूं कि आयकर अपीलीय अधिकरण और आयकर अपीलीय अधिकरण परिवार के सदस्य अपने कार्य क्षेत्र में उत्कृष्टता बनाए रखेंगे और देश की संवृद्धि तथा विकास में योगदान करेंगे। 75 वर्ष पूरा होने और प्लैटिनम जुबली समारोह के लिए एक बार फिर आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

धन्यवाद। जय हिंद।

आयकर अपीलीय अधिकरण के प्लैटिनम जुबली समारोह के छायाचित्र

आयकर अपीलीय अधिकरण के प्लैटिनम जुबली समारोह के छायाचित्र

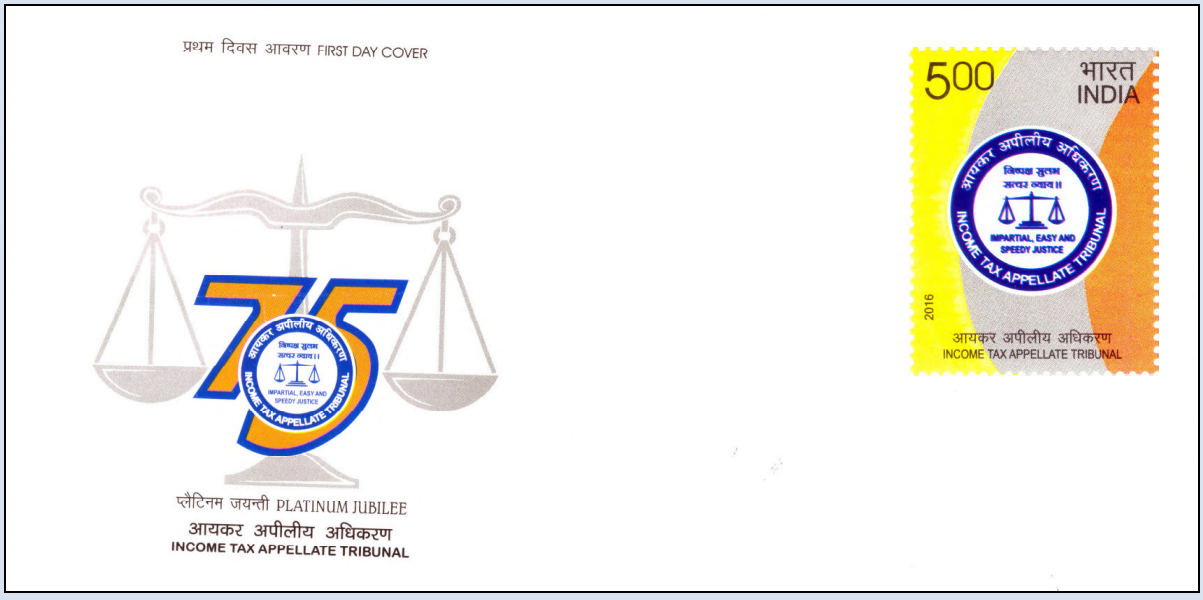

ताकि कोई भूखा न सोए

श्री कौशल कुमार
सहायक पंजीकार, कोलकाता

आज हमारे देश में लाखों की संख्या में लोग बिना खाए सो जाते हैं, सैकड़ो की संख्या में लोग तड़प-तड़प कर मर जाते हैं। इसका मूल कारण समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार है।

इस लेख के सभी तथ्य समाचार पत्रों एवं मीडिया के द्वारा दिए गए आंकड़ो पर आधारित हैं। यह लेख लिखने का मतलब किसी भ्रष्टाचारी को दुःख पहुंचाना कतई नहीं है। हां, इतना अवश्य है कि अब समय है अपने आप को सच्चाई की कसौटी पर तौलने की।

हम प्रायः पढ़ते हैं, सुनते हैं कि अमुक राजनेता, सरकारी कर्मचारी/अधिकारी या व्यापारी करोड़ो/अरबों रुपये का घोटाला किया है, घूस लिया है या मिलावटखोरी/ घटतौली करके देश का नाम कलंकित किया है। यह लेख लिखने से पहले लेखक यह सोचने पर मजबूर है कि भ्रष्टाचारियों की काली कमाई की सीमा क्या है? क्या वे एक सीमा तक धन इकटठा करके घूसखोरी बंद कर देते हैं?

ऐसा कतई नहीं होता है। इन्हें एक प्रकार का रोग होता है। मेडिकल साइंस में अवश्य कोई न कोई इसका नाम होगा। ऐसा भी नहीं है कि भ्रष्टाचारी अभावग्रस्त होते हैं या उन्हें कोई कमी होती है। दरअसल ऐसे लोग भयग्रस्त होते हैं कि इनकी अगली जो पीढ़ी होगी, वह नालायक ही होगी। इसलिए वे अपने 10-20 पीढी तक के लिए धन जमा करके रख लेना चाहते हैं जबकि यह सच नहीं है। सच तो यह है कि ये भ्रष्टाचारी खुद भी गलत तरीकों से कमाए धन को उपभोग नहीं कर पाते हैं। पहला कारण तो यह है कि ये इतने पैसे भ्रष्टाचार कर कमा लेते हैं कि इस पैसे को कहां छिपाएं, इस चिंता और भय के कारण गंभीर बीमारियों के शिकार हो जाते हैं जिसके कारण वे मन मुताबिक खा-पी भी नहीं पाते। और उनके बच्चे इस गलत कमाई के पैसे से अय्याशियों में डूब कर अपना जीवन बरबाद कर लेते हैं। दूसरी बात है कि ये भ्रष्टाचारी कभी भी भ्रष्टाचार के कमाया धन अपने नाम नहीं रखते हैं। सारे भ्रष्टाचार से कमाये धन-संपत्ति भाई-भतीजोंके नाम पर रखते हैं। और ये उनकी सारी संपत्ति बाद में हड़प लेते हैं। बाद में ये भ्रष्टाचारी और उनका खुद का परिवार सड़क पर घुमता है और दर-दर की ठोंकरे खाता है। तीसरा कारण यह है कि काली कमाई का पैसा खाते-खाते वे वेडौल हो जाते हैं और खाने-पीने लायक रह नहीं जाते हैं। उदाहरण के लिए हमारे भारतवर्ष में आजादी से पहले 500 से ज्यादा रियासतें थी जिसके पास अथाह दौलत थी, कहां गई उन रईसजादों के सभी औलादें। जो व्यक्ति पुरूषार्थ कर पैसे नहीं कमायेगा वह या उनकी औलादों का समाज में कोई नामों-निशान नहीं होगा। इसका इतिहास गवाह है।

हममें से अधिकतर ने महर्षि वाल्मिकी की कहानी पढ़ी होगी। जिसमें बताया गया है कि वे कैसे डकैत से महर्षि बने। जब साधु ने उनसे पूछा कि डकैती का धन तुम परिवार को दे रहे हो। क्या तुम्हारे परिवार के लोग उस पाप में भागी होंगे, जिसपर पूरा परिवार मुकर गया और एक डाकू उसी दिन से संयासी बन गया।

अब समय काफी बदल गया है, देश में गरीबी बढ़ती जा रही है, अमीरी-गरीबी की खाई बढ़ती जा रही है। अब जरूरत है एक भारतवासी को यह प्रण लेने की कि हम अपने खुद भी गलत काम नहीं करेंगे और दूसरों को भी इसके लिए रोकेंगे। यहां यह भी बताते चलें कि आज तक कोई भ्रष्टाचारी ऐसा नहीं हुआ जो जेल न गया हो या पुलिस का डंडा न खाया हो। अगर अपराध किसी मंद व्यक्ति से हो तो उसे छोड़ दिया जाना चाहिए क्योंकि उसकी सोचने की क्षमता सामान्य से कम होती है। परंतु एक सामान्य व्यक्ति या शिक्षित/उच्च शिक्षित व्यक्ति को अपने आत्मा की आवाज से यह सोचना चाहिए कि आखिर आप जो भी गलत कर रहें हैं उससे किसी गरीब के पेट पर लात मार रहे हैं। आप सोचें कि आप की काली कमाई चील-कौवे खाएंगे और अभी देश में हजारो लाखों लोग बिना खाए सो जाते हैं।

कभी गांव की गलियों में जा कर देखें कि वहां शाम सात बजते-बजते दीपक बुझा दिया जाता है क्योंकि उनके पास रात तक दीपक जलाने के लिए किरोसीन तेल नहीं होता है। कभी किसी गरीब की बस्ती में जाकर देखें दूधमुंहे बच्चे को पानी पिलाकर सुला दिया जाता है। और शायद आपने देखा होगा कि छोटे-मोटे होटलों के बाहर जब लोग नाश्ता करके पत्ते फेंक देते हैं तो कई गरीब के बच्चे उसी जूठन से अपने पेट की आग शांत करते हैं। आप प्रायः पढ़ते हैं कि गरीबी के चलते पूरे परिवार ने आत्म हत्या कर ली। क्या आपने कभी सोचा है कि वह क्यों गरीब है क्योंकि उसका हक किसी भ्रष्टाचारी ने हड़प लिया है। और तो और मनरेगा जैसे योजनाओं में भी ये भ्रष्टाचारी घोटाला करते हैं। जो अति गरीब लोगों के लिए है।

भूखे-गरीब बच्चों, पढ़े-लिखे बेरोजगार नौजवानों के भविष्य, देश के भविष्य और अपनी आत्मा की आवाज पर अपने परिवार के भले के लिए भ्रष्टाचार करने से पहले भगवान से डरें। इससे न आपका भला होगा, न आपके परिवार का, न देश का। आशा एवं विश्वास है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण होगा। और भ्रष्टाचारी व्यक्ति अब देश के विषय में सोचेगा और भ्रष्टाचार न करने के लिए संकल्प लेगा ताकि भविष्य में कोई भारतवासी भूखा न सोये।

कहानी (कर्तव्य)
भाग - 2

श्री कौशल कुमार
सहायक पंजीकार, कोलकाता

लक्ष्मी की शर्त बहुत कठिन थी। जमींदार साहब की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। परंतु उन्होने लक्ष्मी की शर्त मान ली और विवाह संपन्न हो गया। चूंकि जमींदार साहब ने लक्ष्मी को वचन दिया था, अतः उन्हे अपना वचन पूरा भी करना था। विवाहोपरांत समय पंख लगाकर उड़ रहा था।

लक्ष्मी की दृढ़ प्रतिज्ञा को देखकर जमींदार साहब बहुत प्रभावित हुए। उन्होने लक्ष्मी को काफी समझाया कि बेटी को बड़ा होकर ससुराल जाना ही पड़ता है। यही दुनिया की रीति है। तुम्हारे माता-पिता अब मेरे रिश्तेदार हैं और उनकी देखभाल करना मेरी भी जिम्मेदारी है। उन्होने लक्ष्मी के पिताजी से बातचीत करके अपने आदमियों की मदद से उनकी खेती का जिम्मा संभाल लिया। कुछ ही दिनों में बाबू शिवचरण की खेती में अच्छी उपज होने लगी और वे पुनः अच्छी स्थिति में आ गए।

लक्ष्मी भी बीच-बीच में माता-पिता की खबर लेती रहती थी। एक स्त्री के मजबूत इरादों ने बाबू शिवचरन को पुनः मजबूत स्थिति में खड़ा कर दिया।

अपने घर को फिर से पनपते हुए या यू कहें कि फलते-फूलते देखकर लक्ष्मी की दोनो भाभियों के मन में लालच होने लगा। उन्हे लगने लगा कि घर छोड़कर उन्होने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब वे प्रत्येक त्योहार पर घर आने लगे तथा दोनो लड़के भी अब अपने माता-पिता की देखभाल करने लगे। बाबू शिवचरण सभी बातों को समझ रहे थे। जो लड़के कभी उनकी खोज-खबर लेने नहीं आते थे, वे अब क्यों उनके आगे पीछे घूम रहे थे, यह बात उन्हें अच्छी तरह समझ में आने लगा था। उनकी संपत्ति भी दिन दूना रात चौगुना बढ़ रही थी।

अंत में उन्होने किसी विवाद से बचने के लिए अपने जीते-जी अपनी सारी संपत्ति अपनी बेटी लक्ष्मी के नाम वसीयत कर दी। दोनो लड़के हाथ मलते रह गए। परंतु लक्ष्मी के अंदर तो त्याग का समुद्र था। वह धन-दौलत की भूखी नहीं थी। उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। समय बीतता गया। शिवचरन और उनकी पत्नी वृद्धावस्था में जा चुके थे और वही जो सबके साथ होता है। कुछ ही समय के अंतराल में दोनो स्वर्ग सिधार गए।

इधर दोनो भाईयों की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। जायदाद हाथ से निकल जाने के कारण वे परेशान व बीमार भी रहने लगे।

लक्ष्मी को दोनो भाइयों के ऊपर दया आ रही थी। परंतु उसके दोनो भाईयों की माता-पिता के प्रति बेरूखी देखी थी। वह असमंजस की स्थिति में थी कि क्या करे क्या ना करे। उसकी बेचैनी बढती जा रही थी।

अंत में उसने अपने मन में चल रहे उथल पुथल को शांत करते हुए कुछ फैसला लिया और अपने दोनो भाईयों, भाभियों और अपने भतीजों को बुलाकर अपने मन की बात कही। परंतु उसमें एक महत्वपूर्ण बात थी कि लक्ष्मी अपनी पूरी जायदाद अपने दोनो भतीजों के नाम कर देगी मगर उन्हें अपने माता-पिता का पूरा ख्याल रखना होगा। जो गलती लक्ष्मी के भाइयों से जाने-अनजाने में हो गई थी, वह गलती अब फिर नहीं होनी चाहिए। यह सब कहकर उसने बिना किसी लालच के अपनी पूरी संपत्ति अपने दोनो भाईयों के बेटों को सौप दिया।

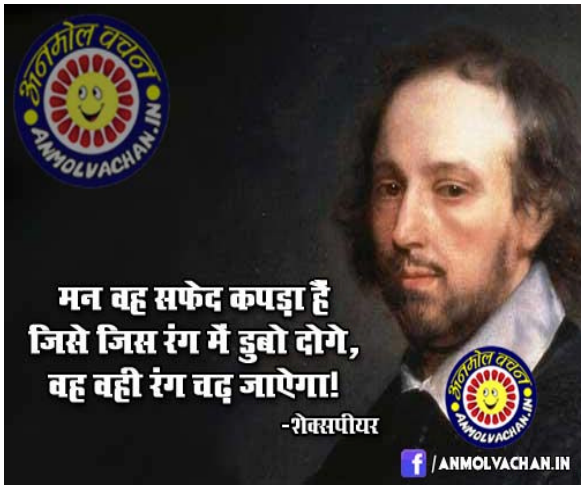

संयम का विवेक

श्रीमती आशा पाल
वरिष्ठ हिंदी अनुवादक, मुंबई

अर्नब अपनी कक्षा के बाहर खड़ा था, जब उसने सुना कि मैम स्नेहलता उसके माता-पिता से कह रही थीं, बहुत बढ़िया लड़का है आपका। उसका जवाब नहीं। क्या पढ़ाई-लिखाई और एक्स्ट्रा करिकुलम की गतिविधियां। और, सबसे शानदार तो उसका व्यवहार है। हमेशा मुस्करा कर बात करना, किसी बात पर टोके जाने पर बिना बुरा माने अपने को सुधारना और क्लास की सारी जिम्मेदारी लेना। तारीफ सुनकर बाहर खड़े अर्नब के कान गरम होने लगे। वैसे तो मैम अक्सर उसकी तारीफ सबके सामने कर देती हैं, लेकिन इतनी तारीफ इसे हजम नहीं हो रही थी। तभी उसके पिता की भारी-भरकम आवाज आई, 'अरे मैम, आप खुद अच्छी सोच वाली हैं, वरना वह इता अच्छा कहां? बच्चे तो गलतियों के पुतले होते हैं। उनको सही तो आप लोग ही करते हैं। ध्यान रखिएगा ' मैम ने फिर कहा, नहीं, बहुत अच्छा है आपका लड़का। हम खुशकिस्मत हैं कि यह हमारे स्कूल में है। मां के चेहरे पर मुस्कराहट आ गई और पिता ने चलते हुए कहा नहीं अभी ऐसा भी परफेक्ट नहीं है। बहुत गलतियां करता है। आप ध्यान रखिएगा। शुक्रिया। उन दोनों को बाहर आता देख अर्नब वहां से हट गया पूरे रास्ते उसकी मां खुश होकर प्यार से उसका सिर सहलाती रहीं, लेकिन पिता गंभीर बने रहे। उसे अपने पिता पर रह-रह कर गुस्सा आता था। बचपन से ही देखा है कि पिता कभी भी सहजता से स्वीकार नहीं करते कि उनका बेटा प्रतिभाशाली है। पिछले साल की बात है, वह स्कूल के वार्षिक समारोह के नाटक में काम कर रहा था और बैंड में गिटार भी बजा रहा था। नाटक के बाद सबने उसे घेर लिया। सारे दोस्तों के माता-पिता उसकी खूब तारीफ कर रहे थे, लेकिन पिता मौन थे। उनके एक साथी ने बधाई देते हुए कहा, कमाल का टैलेंटेड है आपका अर्नब। वे सुनकर सिर्फ मुस्कराए। मां ने तो खूब प्यार किया, लेकिन पिता बस यह कह कर रह गए, ठीक किया। ऐसे ही दिन गुजरते रहे। अर्नब देखता है कि उसके दोस्तों के माता-पिता तो उनकी छोटी-छोटी उपलब्धियों पर पर खूब सराहते हैं, पर उसके पिता बस हिदायतें देते हैं। कोई तारीफ भी करता, तो चुप रहते हैं या कोई करीबी हुआ तो उसे कह देते हैं कि यह तो आपकी नजर की अच्छाई है, नहीं तो लड़का साधारण ही है। जब अर्नब बारहवीं में आया तो उसके स्कूल में संगीत की एक वर्कशॉप हुई। उसमें मुंबई से आए प्रशिक्षक अर्नब से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उसे अपनी टीम में शामिल करने का भी प्रस्ताव दिया। यह सुनकर मानों वह सातवें आसमान पर पहुंच गया। घर जाकर जब उसने यह बात बताई तो पिता ने कहा, अभी तुमको बहुत सीखना है। अभी कहाँ तुम इस काबिल हुए कि संगीत की दुनिया में नाम रोशन कर सको। संगीत तो साधना से प्राप्त होता है। पिता की बात सुनकर उसके उत्साह पर पानी पड़ गया। उस शाम वह भीतर से मायूस हो गया। बहुत देर तक अकेले बैठा सोचता रहा कि मेरे पापा मुझे प्यार नहीं करते। उनको मेरी किसी उपलब्धि से खुशी नहीं होती। जब-तब मुझे लेक्चर तो देते हैं कि कितनी सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन कभी नहीं कहते कि तुम मेहनत कर रहे हो। अच्छा कर रहे हो। उसने यह सब सोचते हुए तय किया कि आज वह घर से चला जाएगा। जब उनको बेटे की परवाह ही नहीं, तो वहाँ रहकर क्या करे अब तो उसे काम भी मिल गया है।

ऐसा सोचते हुए उसने मन बना लिया कि आज रात दोनों के सोने के बाद घर से चला जाएगा। रात हुई। वह अपने ख्यालों में गुम खाना खाकर अपने कमरे में चला गया। खाने की टेबल पर माँ ने कुछ बात करने की कोशिश की। हां-हूं में उसने उत्तर दिया। आज की घटना से और अपने निर्णय से उसका मन भारी था। देर रात अपना बैग तैयार कर उसने सोचा कि एक बार मां को देखता चलूं। क्या पता, फिर कब मां से मिल पाऊं मां तो मेरी परवाह करती है न। ऐसा सोचते हुए वह अपने माता-पिता के कमरे की ओर बढ़ा। धीमे-धीमे आती आवाज के कारण दरवाजे पर थम गया। लगा, अभी वे सोये नहीं, बातें कर रहे हैं। मां की बात उसे सुनाई दी, आप क्यों करते हैं ऐसा कितना खुश आया था बेटा। आपकी बात से मायूस हो गया पिता ने अपनी ठहरी हुई आवाज में कहा, तुम समझती नहीं। अभी उम्र ही क्या है उसकी। बहुत अच्छा है हर चीज में। सभी तारीफ करते हैं। अगर मैं भी वैसा ही करुं तो उसे अपने पर अभिमान हो जाएगा, फिर सीखना बंद कर देगा।

पिता की बात सुन सन्न रह गया अर्नब। अगर वह मन में धीरज नहीं रखता और बिना मां से मिले चला जाता तो मन में पिता को कई बार बुरा कह चुका है। अगर कभी सामने कह दिया होता तो क्या आज के बाद उनका सामना कर पाता पहले उसे अपने भीतर के धैर्य पर खीझ होती थी कि क्यों पापा की हर बात सुन लेता है, पर आज उस पर तसल्ली हुई।

दिखावे का नतीजा

श्री अभिवन गवंडे
सहायक, मुंबई

मैनेजमेंट की शिक्षा प्राप्त एक युवा नौजवान को बहुत अच्छी नौकरी लग जाती है। उसे कंपनी की ओर से काम करने के लिए अलग से एक केबिन दे दिया जाता है।

वह नौजवान जब पहले दिन ऑफिस जाता है और बैठ कर अपने शानदार केबिन को निहार रहा होता है तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। दरवाजे पर एक साधारण सा व्यक्ति रहता है पर उसे अंदर आने के लिए कहने के बजाय वह युवा व्यक्ति उसे आधा घंटा बाहर इंतजार करने के लिए कहता है। आधा घंटा बीतने के पश्चात वह आदमी पुनः अंदर आने की अनुमति मांगता है। उसे अंदर आता देख युवक टेलीफोन पर बातें करना शुरु कर देता है। वह फोन पर बहुत सारे पैसों की बातें करता है, अपने ऐशो-आराम के बारे में कई प्रकार की डींगें हांकने लगता है। सामने वाला व्यक्ति उसकी सारी बातें सुन रहा होता है पर वो युवा व्यक्ति फोन पर बड़ी-बड़ी डींगें हांकना जारी रखता है।

जब उसकी बातें खत्म हो जाती हैं तब जाकर वह उस साधारण व्यक्ति से पूछता है कि तुम यहां क्या करने आये हो। वह आदमी उस युवा व्यक्ति को विनम्र भाव से देखते हुए कहता है- साहब, मैं यहां टेलीफोन रिपेयर करने के लिए आया हूं। मुझे खबर मिली है कि आप जिस टेलीफोन से बात कर रहे थे वो हफ्ते भर से बंद पड़ा है, इसीलिए मैं इस टेलीफोन को रिपेयर करने के लिए आया हूं। इतना सुनते ही युवा व्यक्ति शर्म से लाल हो जाता है और चुप-चाप कमरे से बाहर चला जाता है। उसे उसके दिखावे का फल मिल चुका होता है।

कहानी का सार यह है कि जब हम सफल होते हैं तब हमें अपने-आप पर बहुत गर्व होता है और यह स्वाभाविक भी है। गर्व करने से हमे स्वाभिमानी होने का एहसास होता है लेकिन एक सीमा के बाद ये अहंकार का रूप ले लेता है और आप स्वाभिमानी से अभिमानी बन जाते हैं और अभिमानी बनते ही आप दुसरों के सामने दिखावा करने लगते हैं। अतः हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम चाहे कितने भी सफल क्यों ना हो जाएं, व्यर्थ के अहंकार और झूठे दिखावे में ना पड़ें अन्यथा उस युवक की तरह हमे भी कभी न कभी शर्मिंदा होना पड़ सकता है।

आध्यात्मिक लेख

श्री राजगोपालन अय्यंगार,
प्रधान लिपिक, मुंबई

ताओ ते चिंग(Tao Te Ching) प्रसिध्द चीनी दार्शनिक लाओत्से द्वारा रचित एक धर्म ग्रंथ है। लाओत्से ने इसे छठी सदी ईसा पूर्व में लिखा था। ताओ धर्म चीन का एक मूल धर्म और दर्शन है। भारत में ताओ धर्म और लाओत्से की रचना "ताओ ते चिंग" के संबंध में भगवान रजनीश ने कई विश्लेषण और टीकाएं की है। भगवान रजनीश द्वारा ताओ ते चिंग ग्रंथ के सबसे पहले सूत्र का विश्लेषण किया है।

मैं निम्नलिखित लेख में इसी विश्लेषण की समीक्षा अथवा समालोचना करने की कोशिश कर रहा हूं।

ताओ – अध्याय 1 : सूत्र 1

जिस पथ पर विचरण किया जा सके,
वह सनातन और अविकारी पथ नहीं है।
जिसके नाम का सुमिरन हो, वह कालजयी एवं
सदा एक रस रहने वाला नाम नही है।

जिन्होने जाना है- शब्दों से नहीं, शास्त्रों से नहीं वरन् जीवन से ही, जीकर – लाओत्से उन थोड़े से लोगो में से एक हैं। और जिन्होने केवल जाना ही नही वरन् जनाने की भी कोशिश की है- लाओत्से उन और भी बहुत थोड़े से लोगो में से एक हैं। लेकिन जिन्होने भी जाना है और जिन्होने भी जनाने की कोशिश की है, उनका प्राथमिक अनुभव यही है कि जो कहा जा सकता है, वह सत्य नही है। जो वाणी का आकार ले सकता है, आकार लेते ही अपने निराकार सत्ता को अनिवार्यतः खो देता है। जैसे कोई आकाश को चित्रित करे, तो आकाश कभी भी चित्रित नहीं होगा। जो भी चित्र में बनेगा, निश्चित ही वह आकाश नही है। चित्र तो स्वयं ही आकाश से घिरा हुआ है। तो चित्र में बना हुआ आकाश होगा, ऐसे ही शब्द में बना हुआ सत्य होगा। जो भी सत्य को कहने चलेगा, उसे पहले ही कदम पर बड़ी कठिनाई खड़ी हो जाती है। वह यह कि शब्द में डालते ही सत्य असत्य हो जाता है। ऐसा हो जाता है, जैसा वह नहीं है। और जो कहना चाहा था, वह अनकहा रह जाता है और जो नहीं कहना चाहा था वह मुखर हो जाता है। लाओत्से अपनी पहली पंक्ति में इसी बात से शुरू करता है।

शब्दों की जो बड़ी कठिनाई है वह यह है कि सभी शब्द द्वैत से निर्मित हैं। अगर हम कहें रात तो दिन पीछे छूट जाता है। अगर हम कहें प्रकाश तो अंधेरा पीछे छूट जाता है। अगर हम कहें जीवन, तो मौत पीछे छूट जाता है। और जीवन ऐसा है संयुक्त, इकट्ठा। यहां दिन और रात अलग-अलग नहीं है। यहां जन्म और मृत्यु अलग-अलग नहीं है। लेकिन जब भी हम शब्द में बोलते हैं तो कुछ छूट जाता है। जब हम कहते हैं नियम, तब अराजकता पीछे छूट जाती है। वह भी जीवन में है, उसे छोड़ने का उपाय जीवन के पास नहीं है, शब्दों के पास है।

तो अपने पहले सूत्र में लाओत्से कहता है- "जिस पथ पर विचरण किया जा सके, वह सनातन, अविकारी पथ नहीं है। "

बहुत सी बातें इस छोटे से सूत्र में है। एक, जिस पथ पर चला जा सके उस पर पहुंचने की घटना न घटेगी क्योंकि जहां हमें पहुंचना है, वह कहीं दूर नहीं, यहीं और अभी है। जिसे स्वयं को खोजना है, उसे तो सब रास्ते छोड़ देने पड़ेगे क्योंकि स्वयं तक कोई भी रास्ता नहीं जाता है। असल में स्वयं तक पहुंचने के लिए रास्ते की भी जरूरत नहीं है। जो चलता ही नहीं, वह पहुंच जाता है। जिस रास्ते पर भी हम चल सकें वह हमारा ही बनाया हुआ होगा। इसलिए हमारा बनाया हुआ पथ सनातन नहीं होगा। जो पथ हमने बनाया है वह सत्य तक नहीं जा सकता। रास्ता तो तभी बनाया जा सकता है जब मंजिल का पता हो। अगर हमें पता ही है कि सत्य कहां है, तो हमें रास्ते की जरूरत नहीं है। सत्य तक पहुंच ही गए हैं, जान ही लिया है। और जिसे पता नहीं है, वह रास्ता बनाता है। वे सनातन पथ नहीं हो सकते। सनातन पथ वह है, जो आदमी ने नहीं बनाया। जब आदमी नहीं था, तब भी था और जब आदमी नही होगा, तब भी रहेगा। सनातन पथ तो वह है जो चलने वाले के बिना है। अगर चलने वाले पर कोई पथ निर्भर है, तो वह सनातन नहीं है।

लाओत्से आगे कहता है, "जिसके नाम का सुमिरन है वह कालजयी एवं एकरस रहने वाला नाम नहीं है। " सूत्र में कहता है जिसे नाम दिया जा सके, जिसे शब्द दिया जा सके, वह असली नाम नहीं है। जो समय के अतीत हो और समय जिसे नष्ट न कर दे, वह ऐसा नाम नहीं है। सभी चीजों को हम नाम दे देते हैं। नाम देने से सुविधा होती है। विश्लेषण सुगम हो जाता है। नाम दिए बिना इस जगत में कोई गति नहीं है। पर जैसे ही हम नाम देते हैं वैसे ही उस वस्तु की जो असीमता थी हम एक सीमित दरवाजा बना देते हैं। हमारे सारे दिए हुए नाम ही काम चलाऊ हैं। उनकी उपयोगिता है, उनका सत्य नहीं है। इसलिए हम परमात्मा को, उसकी परम सत्ता को, नाम नहीं दे सकते। हमारा दिया हुआ नाम अर्थपूर्ण नहीं होगा। इसलिए लाओत्से कहता है उसे नाम नहीं दिया जा सकता जिसका सुमिरन हो सके। चीन की मशहूर कहानी है। बोधिधर्म सम्राट वू के सामने खड़ा है। और सम्राट वू ने उससे पूछा- "उस पवित्र और परम सत्य के संबंध में कुछ कहो। " बोधिधर्म ने कहा, कैसा पवित्र? कुछ भी पवित्र नहीं है। और कैसा परम सत्य? शून्य के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। स्वभावतः सम्राट वू चौका और उसने बोधिधर्म से पूछा कि मेरे सामने जो खड़ा होकर बोल रहा है, वह कौन है? तो बोधिधर्म ने कहा- "यह जो तुम्हारे सामने खड़ा होकर बोल रहा है, वह कौन है, यह मैं नहीं जानता। " सम्राट वू ने समझा कि यह आदमी पागल है। वू ने कहा- इतना भी पता नहीं कि तुम कौन हो? बोधिधर्म ने कहा- "जब तक पता था, तब तक कुछ भी पता नहीं था। जबसे पता चला है, तब से यह भी नहीं कह सकता, पता है। " क्योंकि जिसका पता चल जाए, जिसे हम पहचान लें, जिसे हम नाम दे दें, वह भी कोई नाम है।

इसलिए लाओत्से कहता है, जिसका सुमिरण किया जा सके वह उसका नाम नहीं है। और जिसका सुमिरण किया जा सके, वह समय के पार नहीं है। समय के भीतर जो पैदा होता है वह समय के भीतर नष्ट हो जाता है। यहां जो भी घटित होता है, वह समय के भीतर, वह परिवर्तन है। यहां जो भी कहा जाता है, वह मिट जाएगा। यहां जो भी लिखा जाएगा, वह मिट जाएगा। यहां सब हस्ताक्षर रेत के उपर हैं। तो जो नाम, परमात्मा का स्मरण किया जा सके, ओठों से, वाणी से, शब्द से, समय में, स्थान में वह कालजयी नहीं है। शब्द हो, नाम हो, सब मन से पैदा होता है। मन सत्य को Substitute देता है। सत्य की प्रतिपूरक व्यवस्था करता है। और जो मन पर रूक जाते हैं, वे उन पथों पर रूक जाएंगे जो आदमी के बनाए हुए हैं। उन शास्त्रों पर ठहर जाएंगे जो आदमी के निर्मित हैं। उन नामों पर रूक जाएंगे जिनका परमात्मा से कोई भी संबंध नहीं है।

दर्शन (philosophy), धर्म, मार्ग, पथ, सत्य, शब्द निर्मित करता है। इस अस्तित्व से कहता है, सुनो, राम है उसका नाम। कि सुनो कृष्ण है उसका नाम। आकाश चुप है। उस अनंत को कहीं कोई खबर नहीं है। अस्तित्व और मनुष्य के मन के बीच कोई संबंध नहीं है। न हम आते हैं, तब उसे पता चलता है। न हम मरते हैं, तब उसे पता चलता है। हम आते हैं और चले जाते हैं। और उस थोड़े देर जब हम होते हैं, न जाने कितने शब्द और सिद्धांत निर्मित करते हैं। शास्त्र और संप्रदाय बनाते हैं। हम मन का पूरा जाल फैला देते हैं। लाओत्से कहता है- That which is a way is not a way at all and that which is a name is not a name at all.

वह यही कह रहा है कि पहुंचना हो तो पथ से बचना, नहीं तो भटक जाओगे और जानना हो उसे, पुकारना हो उसे, तो नाम भर मत लेना नहीं तो चूक जाओगे।

आखिर में एक चीनी कथा से समाप्त करता हूं। मारपा एक सन्यासी है। मारपा के सामने एक युवक आकर बैठा है। वह तीन वर्ष से मारपा के पास है। और मारपा से कह रहा है, रास्ता बताइए। कुछ उसका पता ठिकाना बताइए। जब भी वह पूछता है, तब मारपा बोलता भी है तो एकदम चुप हो जाता है। अगर मारपा का शिष्य पूछता है कि कोई रास्ता बताइए, तो मारपा चल भी रहा हो तो खड़ा हो जाता है। तीन साल में वह युवक परेशान हो गया। उसने मारपा से कहा- "वैसे तो आप थोड़ा चलते हैं और बोलते भी हैं। लेकिन जब भी रास्ते की बात उठाता हूं, आप ठहर जाते हैं। और परम सत्य के विषय में पूछता हूं तो आप चुप हो जाते हैं। " फिर भी मारपा ने कोई उत्तर नहीं दिया। एक दिन युवक ने कहा- "अब मैं जाऊ?" मारपा ने पूछा "तुम आए ही कब थे? तीन साल से तुम दरवाजे के बाहर ही घूम रहे हो। जाने की आज्ञा क्यों लेते हो? कई बार मैं द्वार खोलकर खड़ा हो गया, कई बार मैं रूक गया कि शायद मैं चलता हूं, इसलिए तुम प्रेवश नहीं कर पाते हो। जब भी तुमने सवाल पूछा, मैंने तुम्हें जबाब दिया है।"

युवक हैरान हो गया। उसने कहा- "यही तो बेचैनी है कि जब भी मैंने सवाल पूछा आप चुप रह गए हैं।

मारपा ने कहा- "वही था जबाब। काश! तुम भी उस वक्त चुप रह जाते और जब मैं चलते-चलते ठहर गया, तुम भी रूक जाते तो हमारा मिलन हो जाता था।

लाओत्से यही कह रहा है कि बताना है उसके संबंध में, तो मौन होना पड़ता है, चलना है उसके पथ पर तो खड़े हो जाना पड़ता है। खालीपन ही निर्विकार है। शून्य के अतिरिक्त और कोई पवित्रता नही है। शून्य के अलावा कोई निर्दोष स्थिति नहीं है। शून्य, बिल्कुल शून्य। मन में न कोई आकार उठता, न शब्द, न कोई नाम, न ही कोई मार्ग या मंजिल, न कहीं जाना या पहुंचना और न कुछ पाना। ऐसी जब कोई स्थिति बनती है, तब ताओ प्रकट होता है।

मंथन

श्री एस.के. पाण्डेय
प्रधान लिपिक, लखनऊ

मैं बचपन से ही अपने इर्द-गिर्द, बड़े एवं बुजुर्गों से सुनता आया कि सन् 15 अगस्त 1947 को भारत के लोग स्वतंत्र हो गये। सबको समान अधिकार प्राप्त हो चुका है। बचपन की जिज्ञासा के कारण परतंत्रता और स्वतंत्रता का अंतर समझने की कोशिश करने लगा और यह सुनकर मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि हम स्वतंत्र हैं। हमें भेद-भावपूर्ण व्यवहारों से दूर, स्वतंत्र एवं अपने अधिकारों के साथ जीने की आजादी मिल चुकी है। जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने, देश भक्तों ने परतंत्रता के समय सहन किया और जिससे मुक्ति के लिए अनेक देश भक्तों ने, सपूतों ने आजादी के लिए असहय दुख सहे और बलिदान दिए। यह सुनने में बड़ा कर्णप्रिय लगता है कि हमें यानि भारत के उन सभी को जो गरीब से अमीर तक, आम जनता से शासक तक, मजदूर से मंत्री तक के अधिकार समान हैं, सबको सम्मान पूर्वक रहने, कमाने, खाने, बोलने का समान अधिकार है, सबको मौलिक अधिकार प्राप्त हैं और ये अधिकार सबके लिए संविधान में निहित है। किसी भी अन्याय के लिए कोई आम आदमी भी उस अन्याय एवं अन्यायी का विरोध कर सकता है चाहे अन्यायी कितना ही शक्तिशाली, समृद्ध क्यों न हो क्योंकि अंग्रेजो के शासन के बाद हम स्वतंत्र हो गये हैं, पर हकीकत कोसों दूर है। यदि हम भारत ही नहीं पूरे विश्व पटल पर मंथन करें तो यह परिलक्षित होता है कि आदि काल से अब तक यह कहावत सत्यसः चरितार्थ हो रही है "जिसकी लाठी उसकी भैंस"। शक्तिशाली व्यक्ति, समुदाय हमेशा दुर्बलों पर हावी रहा है चाहे वह राजतंत्र रहा हो, प्रजातंत्र रहा हो, सैनिक शासन रहा हो अथवा तानाशाहों का शासन रहा हो। युद्ध काल रहा हो, आपातकाल हो या शांतिकाल हो, शहरी हो या ग्रामीण, वास्तविक स्वतंत्रता उसी को है जो शक्तिशाली है एवं संपन्न है। इसलिए संपन्नता एवं शक्तिशाली होने के लिए लोगों में होड़ सी मची है ताकि अपने से दुर्बल पर शासन कर सकें, अपने अधीन रख सकें। हर शासक अपने अनुसार नियम कानून बनाता है, कोई भी शासक द्वारा बनाया गया कानून मनः सोच के अनुसार बनाया जाता है, जिससे सर्वप्रथम उसका भला हो, उसका स्वार्थ सिद्ध हो सके भले ही निरीह जनता को भुग्तभोगी होना पड़े।

आज पूरे विश्व में शक्ति एवं संपन्नता के प्रदर्शन की होड़ मची है। एक देश दूसरे से ज्यादा शक्तिशाली एवं संपन्नता दिखाने के लिए तरह तरह के क्षदम अपनाने के लिए तैयार है ताकि दूसरे देश उसके सिरमौर की प्रशंसा करें

अथवा उसे श्रेष्ठ समझते रहें, उसकी गलतियों पर उंगली न उठा सकें तथा वह दूसरे देशों को अपने अनुसार चलने के लिए मजबूर करता रहे। बहुत दुख होता है जब कोई अपने आप को इस नश्वर शरीर से, इस अस्थिर सत्ता से, क्षणिक सुख से, आत्मप्रदर्शन से इतना प्रेम करने लगता है कि वह दूसरों की स्वतंत्रता, दूसरों की उचित इच्छाओं, वैधानिक अधिकारों का हनन करने के लिए आतुर हो जाता है और ऐसा करके आत्मसंतुष्टि का अनुभव करता है। मैंने ग्रामीण क्षेत्र से शहरी, ग्राम पंचायत से संसद तक, देश से अंतराष्ट्रीय स्तर पर यह पाया कि लोग मानवीय मूल्यों से अधिक शक्ति, सत्ता, समृद्धि को अधिक महत्व देने लगे हें। एक निर्बल, आर्थिक विपन्न व्यक्ति की उचित बात उतनी गौर से नहीं सुनी जाती जितनी कि एक संपन्न एवं शक्तिशाली व्यक्ति की, चाहे वह अनुचित ही क्यों न हो, उसे सर आंखों पर बैठा लिया जाता है। कहने को सभी स्वतंत्र हैं पर यदि आंकड़े देखे जाएं तो सत्ता संपन्न शक्तिशाली लोग कितने ही अन्याय एवं अपराध तथा अवैधानिक कार्य कर लें, उनको उतनी तत्परता से सजा दिलाने के लिए कदम नहीं उठाए जाते जितना कि एक असहाय, निर्बल एवं गरीब के प्रति। एक गरीब किसान यदि आर्थिक तंगी के कारण अपने खेत की मालगुजारी या लगान नहीं जमा कर पाता तो उसे जेल में डाल दिया जाता है, उसकी संपत्ति, निलामी के आदेश देने में बड़ी तत्परता दिखाई जाती है किंतु देश के बड़े-बड़े बकायेदार को जिन्हें तरह-तरह की सब्सिडी, लोन तथा कर्ज माफी आदि की सुविधाएं प्राप्त है, उनपर टैक्स या सरकारी भुगतान न करने पर भी तत्पर कार्यवाही नही होती। किसानों की उपज का मूल्य सरकार तय करती है लेकिन फैक्टरी में बड़े व्यापारी द्वारा उत्पादन किये गए माल के रेट व्यापारी तय करता है और सरकार उसे सस्ते दर पर कर्ज, सस्ती भूमि, टैक्स छूट का प्रावधान करती है। जिन फिल्म बनाने वालों को करोड़ो रुपये मिलते हैं, उन्हें प्रायः सरकार द्वारा छूट दिया जाता है, उदाहरणार्थ विगत कुछ महीने में उत्तर प्रदेश सरकार अनेक फिल्मों पर कर छूट देकर गौरवान्वित महसूस कर रही है किंतु मरते हुए किसानों पर शर्मिन्दगी नहीं। गरीबों के लिए भी योजनाएं सिर्फ अमीरों को, बड़े व्यापारियों को और मालामाल करने के लिए बनायी जाती है। यथार्थ में तथा व्यवहारिक तौर पर कोई भी असहाय, गरीब किसी भी शक्तिशाली को नाराज करने की हिम्मत ही नहीं जुटा सकता लेकिन यदि परिस्थितिवश वह अपने अधिकारों के लिए भी यदि किसी शक्तिशाली या सत्ता पर विराजमान व्यक्ति से उसको विरोध करने की हिम्मत दिखाता है या अपने अधिकारों का मांग करता है तो दुष्परिणाम यही होता है कि कमजोर ही भुक्तभोगी होता है। यहां स्पष्ट कर दूं कि यह कमोवेश सभी पर लागू होता है। यदि बहुत कमजोर पर कम शक्तिशाली हावी है तो कम शक्तिशाली पर अधिक शक्तिशाली व्यक्ति अपनी अधीनता स्वीकार कराने के लिए हर प्रयास करता है यानि अपने से कमजोर, अधीन को परतंत्रता की वेणी में रहने के लिए विवश होना ही पड़ता है। आज लाखों, गरीबों, असहायों को न्याय, उचित अधिकारों से इसलिए वंचित होना पड़ रहा है क्योंकि न उसके पास धन है, न ही वह अपने अधिकारों की लड़ाई न्यायालयों में लड़ सकते हैं, न स्वयं में सामर्थ्य है कि विरोध कर सकें क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं है कि अपने विरोधी, शक्तिशाली एवं समृद्ध व्यक्ति के मुकाबले अच्छा वकील कर सकें या जगह-जगह भ्रष्टाचार का मुकाबला कर पाए तथा शक्तिशाली व्यक्ति से जान-माल या किसी भी तरह के खतरे का भय अलग से रहता है। इसी मानसिकता का शिकार पूरी दुनिया हो रही है किंतु आंख नही खुल रही है जब 09 सितंबर, 2001 को अमेरिका में हिवन्स बिलिंग पर हमला हुआ, जो अपने आप को दुनिया का सर्वोच्च शक्तिशाली देश मानता है और अपने आप को सभी देशों का नेता मानता है वह अपेक्षा रखता है कि उसकी बात सारे देश मानें। वह भी स्वार्थ में धृतराष्ट्र बन जाता है। उसके देश पर जब हमला हुआ तो ओसामाबिन लादेन को पाकिस्तान में घुसकर, बिना पाकिस्तान को विश्वास में लिए, अंतराष्ट्रीय कानूनों को ताक पर रखकर, गुपचुप हमला कर लादेन को मारकर प्रतिशोध की अग्नि शांत कर अपने मन को संतोष करके तथा अपनी पीठ थपथपा लेता है किंतु 13 दिसंबर 2001 को भारत के संसद पर आतंकी हमला, मुंबई में 26 नवंबर 2008 को आतंकी हमले या अन्य देशों में जब इस तरह का आतंकी हमला होता है तो उसमें अमेरिका राजनीतिक रोटियां सेकने में पीछे नहीं रहता है। यानि व्यक्तिगत स्तर से लेकर विश्व स्तर तक मनुष्य स्वार्थ में सिर्फ अपने ही अधिकारों एवं अपने सुख-सुविधाओं, स्वतंत्रताओं के उधेड़-बुन में लगा हुआ है। स्वार्थ एवं सत्ता का लालच अब आतंक का रुप लेता जा रहा है। आज सीरिया की स्थिति को देखकर विश्व स्तर पर विचार करने पर मन में अनिश्चितता एवं असुरक्षा तथा वीभत्स की रुप-रेखा खींच जाती है और यह लगता है कि सामान्य आदमी न कभी स्वतंत्र था, न हो पायेगा। जब शांतिकाल या तथाकथित स्वतंत्रता की स्थिति में जो सत्तासीन, शक्तिशाली होगा, वह गरीबों को परतंत्रता का जीवन जीने को विवश करता रहेगा और जब अशांति या सत्ता आततायियों के हाथ में होगी तो भी सबसे अधिक कष्ट गरीबों, असहायों को ही भागना पड़ेगा। आज भी जितनी तीव्र गति से सहजता से मंत्रियों, बड़े अधिकारी, बड़े नेता, बड़े व्यापारी एवं पहुंच वालों का कार्य जितना सहज ढंग से हो जाता है उतना जल्द उतनी ही सहजता से निम्न स्तर के लोगों के कार्यों या अधिकारों अथवा उन निम्न स्तर के लोगो को लाभ देने में तत्परता नहीं दिखाई जाती है और यही कारण है कि लोगों में किसी भी तरह बड़े बनने की एवं शक्तिशाली एवं संपन्न बनने की होड़ मची हुई है। मानवता एक दिखावा होकर रह गया है। सुनते थे कि पहले व्यापार के लेखा-जोखा में एक दान खाता होता था। उस दान से असहायों और गरीबों की सहायता की जाती है और अब दान खाते में व्यापार का प्रचलन चल चुका है।

अधिकांश स्वयंसेवी संस्था, ट्रस्ट, धर्माध संस्थाएं इसलिए खुल रही है कि वे टैक्स कैसे बचाएं तथा काले धन का उपयोग कैसे करें, इसमें महारत हासिल किए हैं। ऐसे संस्थाओं, ट्रस्टों को गरीबों की सहायता में उतनी दिलचस्पी नहीं होती जितनी टी.बी. के न्यूज, अखबारों तथा पत्रिकाओं में अपना नाम छपने तथा धन उगाही तथा काला धन खपाने में रहती है। समाज एवं सरकार इससे अनभिज्ञ नहीं है लेकिन जिसे इनके खिलाफ कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त है वह या उनके नजदीकी लोग जब ऐसे कार्यों में लगे हों तो डर किस बात का। मंथन इस बात पर करने की आवश्यकता है कि स्वार्थ में तथा धन अर्जन की लालसा में हम प्रकृति के सात खिलवाड़ कर रहे हैं, उसका निरंतर दोहन कर रहे हैं। लगातार वन, पहाड़, कोयला, तेल, जल, भूगर्भ संपदा आदि का अंधाधुंध दोहन हो रहा है, खेती की जमीन दिनो-दिन कम होती जा रही है। तकनीक विकास के साथ-साथ हमें जीवनोपयोगी चीजों के बारे, उनके संरक्षण के बारे में मंथन की जरूरत है। सोचिए आज आर्थिक संपन्न लोगो के पास एक नहीं बल्कि कई मकान है, प्लाट है, बैंक बैलेंस है, सोने-हीरे इकट्ठा कर रहे हैं और इसी चकाचौंध में किसान खेत बेचकर शहर की ओर पलायन करने लगा है तथा खेती करने से विमुख हो रहा है, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कही पचास सौ वर्षों बाद ऐसा न हो कि लोगों के पास मकान, बैंक बैलेंस हो, सोने हीरे हो, किंतु खाने के लिए अनाज न हो, पीने के लिए पानी न हो, बिजली न हो, डीजल-पेट्रोल न हो, गैस न हो उस स्थिति में क्या होगा, वे लोग जो ज्यादा शक्तिशाली होंगे वे पानी एवं अनाज के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। हम जिन आने वाली संतानों की सुख-सुविधा के लिए इतना स्वार्थी बन रहे हैं उन्हें शायद दो रोटी एवं एक ग्लास पानी के लिए तरसना पड़ जाए। केदारनाथ की प्राकृतिक आपदा के समय एक सामान्य दर्शनार्थी ने भी एक थाली भोजन के लिए हजार से पंद्रह सौ रुपये दिए। देश में इतने संस्थाएं करोड़ो दान लेने व दान करने का दावा करती हैं, करोड़ो कर बचाती हैं लेकिन केदारनाथ त्रासदी में सहायता के लिए यथार्थ रुप आगे नहीं आई। लेकिन अब भी हम सीख नही लिए आज भी पहाड़ का दोहन अवैधानिक रुप से हो रहा है, सभी नदियों का जल दूषित हो चुका है, पीने का पानी के लिए अधिकांश बड़े शहरों में त्राहि-त्राहि मची हुई है फिर भी हम चेत नही रहे हैं। कही विकास, विनाश का रुप न ले ले। अभी भी समय है विश्व स्तर पर सरकारों को कानून बनाना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को एक सीमा तक ही प्राकृतिक संपदाओं का उपभोग करना चाहिए अन्यथा आने वाले समय में हम धनाढ्य अवश्य हो जाएंगे परंतु खुशहाल एवं सुखी नहीं रह सकते और हर एक-दूसरे का शत्रु नजर आयेंगे तथा स्वयं की स्वार्थ, स्वयं के वर्चस्व तथा स्वयं की स्वतंत्रता तथा दूसरे को पराधीन की भावना सबको गर्त में ले डूबेगी। आने वाली संतानों को सुखमय देखना है तो दिखावेपन की मानसिकता से उपर होकर तथा जो न्यायोचित हो, उस राह पर चलकर "सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्व संतु निरामया " तथा "विश्व बंधुत्व" की भावना के साथ स्व विकास के साथ विश्व विकास, विश्व कल्याण, प्राकृतिक संपदा संरक्षण तथा मानवप्रेम के प्रति मंथन करना होगा। मंथन इस बात का भी कि आज कम से कम जिन सुखों का इस समय उपभोग कर रहे हैं उतनी सुख-सुविधाएं, प्राकृतिक संसाधन तो आने वाली पीढ़ी से छिन न जाए, आतंक का राज पूरे विश्व को अपने आगोस में न ले ले। हम किसी का भला न कर सकें किंतु बुरा तो न करें तथा अपने आपको या अपने आने वाली संतानो को एक गरीब, असहाय तथा आर्थिक कमजोर की श्रेणी में रखकर आत्म मंथन करें तो उत्तर मिल जाएगा पर मंथन के साथ व्यवहृत होना जरूरी है तभी परिवर्तन होगा और हमारा वर्तमान एवं आने वाली पीढी सुरक्षित एवं सुखी रह सकेगी।

सावन और त्योहार

सुश्री उल्का परब
सहायक, मुंबई

निसर्गचक्र और परंपरा इन दोनो दृष्टि से सावन का महत्व है। चातुर्मास में सबसे श्रेष्ठ मास सावन का वर्णन किया जाता है। आषाढ़ अमावस्या दीप पूजन तथा दीपों की आरास होने के बाद व्रतवैकल्प करने की शुरूवात होती है और वातावरण ही बदल जाता है। धूप-बारिश का खेल शुरू होता है। भगवान के हाथ से नीचे आने वाले "मानिक मोती" से हरियाली सपने फुल जाते हैं। खेती के बंधारों से अच्छे-अच्छे गाने के सुर सुनाई देते हैं। दूसरी बाजू में केवल हरी-भरी सब्जियों पर दिन निकालने पर खाने वालों की समस्या निर्माण हो जाती है। सच्चा आनंद दिखाई देता है। वो शादी-शुदा लड़कियों के आंखों में, मैके का पहला त्योहार और ससुराल में आने वाले भाई का मिलाप। यह कल्पना ही उसको बहार लाती है। द्वार के पास ही उसका बार-बार आना-जाना बढ़ जाता है। उसको अपने लोगों की मैके की याद आती है और वो गुनगुनाती है-

"त्योहार सावन का आया
याद आया मैके का झूला
कभी आयेगा बंधुराया
मत लगाना राह दिखाया "

ऐसे गुनगुनाते वो अपनी भावना व्यक्त करती रहती है। यहां उसके व्रतों की तैयारी भी शुरू हो जाती है। सावन मास उत्सव का मास पहचाना जाता है। पहला सावन का सोमवार। सुबह उठने के बाद 'सोमवार' कौन उपवास करने वाला है? मां का सवाल- उपवास के खान-खाने की मजा-समुद्र मंथन में तैयार हुए 'हलाहल' जिसने प्राशन किए वो यह सोमवार। इस सोमवार को शंकर भगवान की पूजा की जाती है। महिलाओं के लिए तो सावन मास बहुत ही प्यारा लगता है। नए-नए शादी-शुदा महिलाओं के चेहरे पर आनंद की बहार आ जाती है। इस महीने के आनदोत्सव की शुरूवात होती है 'शिवमुठ' के व्रत से और सोमवार को चावल, तिल, मूंग, जौ और सातू –ऐसे क्रम से भगवान शंकर के पिंडी पर मूठ से धान बहारते हैं। नए शादी-शुदा महिलाओं को पांच साल तक यह व्रत करने की परंपरा है।

सोमवार जैसे मंगलवार ही महिलाओं के लिए विशेष, नए-नए शादी-शुदा महिलाओं के लिए तो बहुत ही विशेष है। संसार में सौख्य-प्रेम, हमेशा रहने के लिए इस भावना से इस दिन मंगलागौर का व्रत करती है। पहले मंगलागौर व्रत में अपने परिसर के महिलाओं को आमंत्रित किया जाता है। मंगलागौर की पूजा उसके बाद ओबी, उखाने, हल्दी-कुमकुम, ओटी भरना, रात को जागना और पारंपरिक खेल, उस बहाने मैके और ससुराल दोनो बाजू से प्रेम दिखाई देता है। पारंपारिक मराठमोळी वेशभूषा करके महिलाओं का समूह सावन के सप्त रंगों में और आनंदमय वातावरण का प्रतिनिधित्व करते हैं।

शुक्ल पक्ष के पंचमी में नागपंचमी का त्योहार आता है। नाग चूहों का नाश करता है। इसलिए वो किसान लोगों का मित्र होता है। इसलिए उनकी पूजा होती है। उनको कोई भी तकलीफ न होने के लिए इस दिन जमीन की खुदाई नहीं होती ना हल चलाया जाता है। नाग के स्थान जाकर नाग के दर्शन करने की प्रथा है। महिलाएं इस दिन को "झोकापंचमी" भी कहलाती है। इस दिन पंचमी का झूला बांधकर झूलाते हैं। नाग पूजन के बहाने निसर्ग में जाना, प्रकृति के लिए अच्छा रहता है। इसके बाद झिम्मा, फुगड़ी और पेड़ों पर बांधे झूले झुलाते हैं। यह त्योहार खेतीप्रधान, संस्कृति का द्योतक होने के कारण नाग का महत्व ध्यान में लेते हुए अंधश्रद्धा का बलि न होते इस त्योहार की सच्ची पार्श्वभूमि ध्यान में लेना आवश्यक है। वैसे ही बदलते परिस्थिति में नाग पंचमी के व्रत करते समय नाग के रक्षण करने का प्रयत्न करने की जरूरत है। शुक्ल पक्ष में आने वाली पूनम "नार्लीपूनम" पहचानी जाती है। कोली बंधुओं का यह एक विशेष त्योहार। उनका उनके परिवार का पूरा जीवन सागर के उपर ही जीवित रहता है। उस दिन बड़े प्रेम से भक्तिभाव से सागर को नारियल अर्पित किया जाता है। नए मौसम में उनकी नाव सागर में छोड़ने की प्रथा है। महिलाओं के लिए विशेष महत्व है "रक्षा बंधन" का भारतीय संस्कृति में भाई-बहन के पवित्र रिश्ते का महत्व उस दिन निभाया जाता है। भाईयों को राखी बांधने के बाद उनकी पूजा की जाती है। पूजा की थाली में मिलने वाला भाई की तरफ से नजराना अपनी बहन को लाख मोल का लगता है। भाई को भी अपने बहन के हाथ से खिलाया हुआ मीठा खाना तृप्त करने वाला होता है। इस त्योहार में देश की सीमा पर लड़ने वाले सैनिक, अंधे बच्चों के स्कूल में बच्चे, अनाथालय के बच्चे, मानसिक रूग्न, जेल से कैदी बांधव आदि भाईयों को राखी बांधी जाती है। उससे सामाजिक ऋणानुबंध जोड़ने के अच्छे प्रयत्न इस त्योहार से हो जाते हैं।

शिव सप्तमी की अग्निदेव और सप्तऋषि की आस के पत्तों से पूजा की जाती है। उसके बाद "गोविंदा आया रे आया" ता जल्लोष शुरू होता है। सावन वद्य अष्टमी को "श्री कृष्ण जन्माष्टमी" अगले दिन गोकुल अष्टमी आती है। दही-हंडी की धमाल और बच्चे कंपनी को दही काळा का प्रसाद गोविंदा पथक का पराक्रम। उसी में बारिश आती है तो और आनंद मिलता है। "हम भी कुछ कम नहीं" यह दिखाकर महिला मंडल के गोविंदा पतक भी बड़े-बड़े मनोरे लगाकर दही हंडी फोड़ते हैं।

सावन खत्म होते-होते आती है "पिठोरी अमावस्या" मां के हाथ का खाना आज भी अच्छा लगता है। बच्चे कंपनी तो प्रसाद के उपर नजर लगाकर बैठते हैं। अपने पीछे भाई और अपना लड़का उनके रक्षण के लिए महिलाएं यह व्रत करती है। खेती करने वालों के लिए यह त्योहार महत्वपूर्ण है। उनके परिवार का एक घटक, उनका एक मित्र, सहकारी समझ के काम करने वाली, एक-दूसरे के लिए अपनी जान की परवाह न करने वाले बैल की जोड़ी को आराम देने का यह दिन है। उनको नहलाना, उनकी सींग को रंग लगाना, सजाना, उनके अंग पर झुल चढ़ाना, उनके सजने के बाद शाम को ढोल-ताशे के साथ मेला लगाना- गावं के लोग इस बहाने एक साथ आते हैं। उनके लिए "पूरनपोली", "खापर के उपर के मांडे" यह पदार्थ करते हैं। उनका स्वाद ही कुछ निराला होता है। सावन खत्म होते ही कणस में दाना भर जाता है। जो धान आता है, उसकी रक्षा करनी पड़ती है। गांव के मंदिर में शुरू होती है श्री गणेश की आरती और उस आरती के स्वर खेती के बांध तक पहुंच जाते हैं। मैके में आने वाली महिलाएं सब त्योहार निपटकर अपने ससुराल निकल जाती हैं। अपने प्रिय गणेश जी की लोग प्रतीक्षा करते हैं और गौरी गणपति की तैयारी शुरू होती है।

नए-नए उत्सव त्योहार, उसके नए-नए रंग अपने संस्कृति के विशेष महत्वपूर्ण हैं। आनंद देना और लेना यही उसका स्वरूप है। अलग-अलग त्योहार और उत्सव इसके लिए ही होते हैं। लोगों को वह एक सूत्र में बांधते हैं। विविध रूप से रंगों से सजा हुआ यह सावन यही संदेश देकर यही पूरा होता है।

मॉल कल्चर

श्रीमती वैशाली सुभाष शिंदे
प्रधान लिपिक, मुंबई

बेटा, कल इतवार है। कल दादा-दादी को मिलने जायेंगे। मम्मी, कल छुट्टी है। मुझे मॉल में घुमने जाना है। दादा-दादी को भी मॉल में घुमने को लेकर जाएंगे। वहां मैं गेम भी खेलूंगा और हम सब मिलकर खाना भी खाएंगे। यह मां-बेटे का संभाषण रास्ते में सुनकर मैं सोचने लगी कि कितना बदल गया है जमाना। अगर जन्नत कहीं है तो मॉल में है, ये सोचने वाली आजकल की युवा पीढ़ी हो गई है।

आजकल बड़े महानगर के हर यवां के जुबान पर मॉल का नाम सुनने में आ रहा है। पहले जमाने में जैसे लोग मार्केट या हॉट में जाते थे, वैसे आजकल के महानगरों की युवा पीढ़ी माल में जाती है। पिछले दो दशकों से शुरू हुए इकोनोमिक लिब्रलायजेशन से हमारा देश जोरों से वृद्धि कर रहा है। देश में हुए आर्थिक विकास का सबसे ज्यादा फायदा देश का मध्यम वर्ग समाज ही उठा रहा है। भारत के कुल आबादी का लगभग दो तिहाई आबादी 35 वर्ष के कम आयु का है। और इनमें से मध्यम वर्ग के युवा विकास के सबसे बड़े लाभार्थी हैं। इसी वजह से अगर आप मॉल में जाएं तो यही पीढ़ी मॉल्स के एअरकंडीशन्ड और चमक-दमक के वातावरण में मटरगश्ती या मस्ती करते नजर आती है। इक्के-दुक्के मियां-बीबी और छोटे बच्चों के साथ टहलते दिखेंगे लेकिन 50 से उपर के लोग न के बराबर नजर आते हैं।

भारत में हुए आर्थिक विकास के कारण मुंबई, दिल्ली आदि महानगरों में सैकड़ो मॉल्स खुल गए हैं। पश्चिमी आंधी ऐसी चली की गांव में लगने वाले स्वदेशी हॉट धीरे-धीरे मेलों में बदले और अब देखते-देखते ये मेले मॉल का रुप ले रहे हैं। यह मॉल्स पश्चिमी देश के मॉल्स की तुलना में किसी भी तरह से कम नहीं है। एक-दो दशक पहले जो विदेशी चीजें सिर्फ गिने-चुने लोगो को ही मिल सकती थी, आज मॉल कल्चर की वजह से आम आदमी को भी उपलब्ध है। मॉल हर दृष्टिकोण से मालामाल है। यहां सब्जी खरीदने से लेकर कपड़े, खिलौने किताबें, फर्नीचर तक खरीद सकते हैं। और फिल्म देखने का भी इंतजाम होता है। शॉपिंग मॉल की कई विशेषताएं लोगों को उसकी ओर आकर्षित करती है। इसमें घुमने-फिरने हेतु पर्याप्त स्थान होता है। पार्किंग के लिए जगह होती है और अति महत्वपूर्ण यह है कि वस्तु खरीदना कतई जरूरी नहीं होता। हकीकत में बहुत से लोग मॉल में जाकर बहुत सारी न लगने वाली चीजों की भी खरीदारी करते हैं। वो अलग बात है कि मॉल का उद्देश्य लोगों को अलग-अलग तरीकों से खरीदारी करने के लिए आकर्षित करना है और यह उनके व्यवसाय का एक भाग है। मॉल अर्थात आधुनिकता का नवीनतम लबादा पहना हुआ मेला जिसके भीतर आने वाला हर व्यक्ति यह बताने का प्रयास करता है कि वह यहां अनेको बार आता-जाता रहता है तथा इस संस्कृति को खूब जानता है।

बड़े महानगरों में मॉल कल्चर और उधर जानी मानी कंपनियों के रिटेल स्टोर खुलने के बाद यह डर था कि किराना, कपड़े की दुकानों को व्यवसाय में भारी नुकसान होगा। हालांकि सच्चाई यही है कि मौजूदा समय में किराना दुकान, कपड़ों की दुकान और शॉपिंग मॉल दोनो में भी अच्छी खरीदारी हो रही है। युवा बच्चों को शॉपिंग माल में खरीदारी में ज्यादा मजा आता है क्योंकि यहां एक ही जगह पर उन्हें एन्जाय करने के साथ-साथ अपनी पसंद की ड्रेस, खिलौने, वगैरह खरीदने में आसानी होती है। हमारे देश में उदारीकृत आर्थिक नीतियां लागू होने के बाद हमारे सामाजिक जीवन में बहुत सारे बदलाव आए। महिलाओं ने बड़ी मात्रा में रोजगार क्षेत्र में प्रवेश किया। विकास की वजह से नए-नए रोजगार उपलब्ध हुए और मध्यम वर्ग की आमदनी दुगनी-चौगुनी हो गई। आमदनी बढ़ने से रोटी, कपड़ा, मकान इन जरूरत की चीजों के लिस्ट में और भी कई सारी चीजें जैसे होटलिंग, घुमना-फिरना कब शामिल हुए यह पता ही नहीं चला। और ये सारी वजह से मॉल कल्चर भी बढ़ा। किंतु पिछले डेढ़ दशक के दौरान जिस तेजी से मॉल संस्कृति उभरी, अब उतनी ही तेजी से वह उतार की ओर बढ़ रही है। मुंबई, दिल्ली, बेंगलूरू आदि महानगरों के कुल मॉल्स में से अब गिन-चुने मॉल्स की ही रौनक बनी हुई है। और वे ठीक-ठाक कारोबारी हालत में हैं। देश के उभरते शहरों में जहां एक समय शॉपिंग मॉल होना समृद्धि की निशानी मानते थे, वहां भी शॉपिंग मॉल की बहुत सी दुकाने बंद पड़ी हुई दिखाई देती हैं। सभी बड़े मॉल की एक समस्या ये है कि किसी भी शोरूम में बैठने के लिए कोई जगह नहीं होती है। बच्चे और युवा तो इधर-उधर टहल कर सभी चीजों का आनंद लेते हैं पर बुजुर्गों को खड़े-खड़े बोर होना पड़ता है और थकान भी होती है। मॉल में सभी चीजों का दाम दुगना-तीगुना हो जाता है और

वही चीजें मॉल के नजदीक हॉकर्स स्ट्रीट मार्केट या हॉट में सस्ते दामों में मिल सकती हैं।

कुल मिलाकर कह सकते हैं कि विश्व परिवर्तनशील है और उसी लय में समाज भी परिवर्तनशील है। समाज अपने अनेक स्तरों पर जीता है और उन स्तरों पर छोटे-बड़े अनेक परिवर्तन एक समूह को जन्म देते हैं। समाज वही होता है पर उसे देखने की हमारी अपनी-अपनी सोच होती है। आज का सामाजिक वास्तविकता यह है कि हमसे हमारी संस्कृति बहुत पीछे छूटती जा रही है। मॉल संस्कृति को देखकर कई लोगों को ऐसा लगता होगा कि धरती पर अगर जन्नत है तो यहीं है। पर ये सबके लिए नहीं है सिर्फ उनके लिए जो इतने समर्थ हैं। वरना अभी भी देश की करीब 20-25 करोड़ की आबादी गरीबी रेखा के नीचे रह रही है जिनके लिए जन्नत का अर्थ बस दो वक्त की रोटी मिले, वही होता है।

हम परिवर्तन को रोक नहीं सकते किंतु इस परिवर्तन को अपने विचारों को मजबूत रखकर सुयोग्य तरीके से अपने सकते हैं। मॉल्स में खरीदी करना बुरा नहीं है लेकिन अपनी जरूरतों को सीमित रखना भी आवश्यक है। एक समाज के प्रति जो अपनी जिम्मेदारियां हैं वो निभानी भी चाहिए। मॉल्स के साथ-साथ सब्जी मंडी, मार्केट, हॉट, ऐसी जगह भी परिवार के साथ घुमकर खरीदारी का आनंद लेना चाहिए। मॉल में सब्जी मिलती है पर उसमें वो मजा नहीं है जो सब्जी वाले की आवाज "ले लो ताई, ले लो भैया, कोथमीर ले लो, प्याज ले लो, टमाटर ले लो" सुनने में है। मॉल में तो सब सामान रखा हुआ है और उसके उपर दाम भी लिखा हुआ है, जब तक गिल्की-लौकी खरीदने में 1-2 रुपये का मोल भाव न हो, तब तक सब्जी खरीदने का सकून ही नहीं है। "ये कपड़ा आप पर बहुत जंचेगा, भैया। बहुत दिनों बाद आई भाभी, आपको पसंद आए, ऐसी चीज मंगा कर रखी है। " ये दुकानदार और ग्राहक के बीच बना हुआ रिश्ता मॉल कल्चर में दिखाई नहीं देता। ग्राउंड में खुले आसमान के नीचे खेलने का मजा मॉल में बंद दीवारों में गेम खेलने में नहीं होता। मॉल में फिल्म देखने के लिए कौन सी फिल्म कहां दिखाई जा रही है, कहां टिकट मिलेगा, कौन से दरवाजे से अंदर जाना पड़ेगा, यह पता लगाना भी कठिन होता है पर अब लोग सब सीख गए हैं। पूछताछ कर लेते हैं और सिनेमा देखकर वापस आते हैं और रिलैक्स महसूस करते हैं। अगर हम अपने त्यौहार या जन्म दिन, नहीं तो छुट्टी का दिन अपने मित्र परिवार के साथ मॉल में बिताने के बजाय अपने घर पर ही मित्र, परिवार, रिश्तेदारों को बुलाएंगे तो एक-दूसरे के प्रति प्यार और आत्मीयता बढ़ेगी और हम सब समाज में अच्छे से आनंद और खुशहाली की जिंदगी जी पाएंगे।

बाबा साहेब भीम राव अंबेडकर

श्रीमती स्मिता येवले
प्रधान लिपिक, मुंबई

20 वीं शताब्दी के श्रेष्ठ चिंतक, ओजस्वी लेखक तथा यशस्वी वक्ता एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉ भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माणकर्ता हैं। विधि विशेषज्ञ, अथक परिश्रमी, एवं उत्कृष्ट कौशल के धनी एवं उदारवादी, परंतु सुदृढ़ व्यक्ति के रुप में डॉ अंबेडकर ने संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। डॉ अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। छुआ-छूत का प्रभाव जब सारे देश में फैला हुआ था उसी दौरान 14 अप्रैल, 1891 को बाबा साहेब भीम राव अंबडकर का जन्म हुआ था। बचपन से ही बाबा साहेब ने छुआ-छुत की पीड़ा महसूस की थी। जाति के कारण उन्हें संस्कृत भाषा पढ़ने से वंचित रहना पड़ा था। कहते हैं जहां चाह है, वहां राह है। प्रगतिशील विचारक एवं पूर्णरुप से मानवतावादी बड़ौदा के महाराज सयाजी गायकवाड़ ने भीमराव जी को उच्च शिक्षा हेतु तीन साल पर छात्रवृति प्रदान की। किंतु उनकी शर्त थी कि अमेरिका से वापस आने पर उन्हें दस वर्ष तक बड़ौदा राज्य की सेवा करनी होगी। भीमराव ने कोलंबिया विश्वविद्यालय से पहले एम.ए. तथा बाद में पी.एच.डी. की डिग्री प्राप्त की।

उनके शोध का विषय भारत का राष्ट्रीय लाभ था। इस शोध के कारण उनकी बहुत प्रशंसा हुई। उनकी छात्रवृत्ति एक वर्ष के लिए बढ़ा दी गई। चार वर्ष पूर्ण होने पर जब भारत वापस आए तो बड़ौदा में उन्हें उच्च पद दिया गया किंतु कुछ सामाजिक विडंबना की वजह से एवं आवासीय समस्या के कारण उन्हें नौकरी छोड़कर मुंबई जाना पड़ा। मुंबई में सीडेनहम कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर नियुक्त हुए। 1919 में वे पुनः लंदन गए। अपने अथक परिश्रम से एम.एस.सी., डी.एस.सी तथा बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त कर भारत लौटे।

1923 में मुंबई उच्च न्यायालय में वकालत शुरू की। अनेक कठिनाईयों के बाबजूद अपने कार्य में निरंतर आगे बढ़ाते रहे। एक मुकदमें में उन्होने अपने ठोस तर्कों से अभियुक्त को फांसी की सजा से मुक्त करवा दिया। उच्च न्यायालय के न्यायधीश ने निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया। इसके पश्चात बाबा साहेब की प्रसिध्दि में चार चांद लग गए।

डॉ अंबेडकर की लोकतंत्र में गहरी आस्था थी। वह इसे जीवन की एक पद्धति (WAY OF LIFE) मानते थे। उनकी दृष्टि में राज्य एक मानव निर्मित संस्था है। इसका सबसे बड़ा कार्य समाज की आंतरिक अव्यवस्था एवं बाह्य अतिक्रमण से रक्षा करना है। परंतु वे राज्य को एक निरपेक्ष शक्ति नहीं मानते थे।

अनेक कष्टों को सहन करते हुए, अपने कठिन संघर्ष और कठोर परिश्रम से उन्होने प्रगति की उचाईयों को स्पर्श किया। अपने गुणों के कारण ही 29 अगस्त, 1947 को संविधान रचना में संविधान सभा द्वारा गठित सभी समितियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण "प्रारुप समिति" का उन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया। प्रारुप समिति के अध्यक्ष के रुप में डॉ अंबेडकर ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। संविधान सभा में सदस्यो द्वारा उठाई गई आपत्तियों, शंकाओं एवं जिज्ञासाओं का निराकरण उनके द्वारा बड़ी ही कुशलता से किया गया। उनके व्यक्तित्व और चिंतन का संविधान के स्वरुप पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनके प्रभाव के कारण ही संविधान में समाज के दलित वर्गों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के उत्थान के लिए विभिन्न संवैधानिक व्यवस्थाओं और प्रावधानों का निरुपण किया गया। परिणामस्वरुप भारतीय संविधान सामाजिक न्याय का एक महान दस्तावेज बन गया।

1948 में बाबा साहेब मधुमेह से पीड़ित हो गए। जून से अक्टूबर 1954 तक वो बहुत बीमार रहे इस दौरान वो नैदानिक अवसाद और कमजोर होती दृष्टि से भी ग्रस्त थे। अपनी अंतिम पांडुलिपि बुद्ध और उनके धम्म को पूरा करने के तीन दिन बाद 06 दिसंबर, 1956 को अंबेडकर इह लोक त्याग कर परलोक सिधार गए। 07 दिसंबर को बौद्ध शैली के अनुसार अंतिम संस्कार किया गया जिसमें हजारों समर्थकों, कार्यकर्त्ताओं और प्रशंसकों ने भाग लिया। भारत रत्न से अलंकृत डॉ भीमराव अंबेडकर का अथक योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। धन्य है भारत की भूमि जिसने ऐसे महान सपूत को जन्म दिया।

टूटते रिश्ते

श्रीमती श्रीदेवी नायर
प्रधान लिपिक, मुंबई

"माँ" कितनी मिठास है इस शब्द में, माँ के चरणों में स्वर्ग है। आजकल यह वाक्य कुछ परिचित नहीं लग रहे, हमें आजकल अक्सर व्हाटस-अप और फेसबुक में दिखाई देने वाले कुछ वाक्यों में से एक है। इतना ही नहीं आजकल तो " मदर्स डे" और "फादर्स डे" भी मनाया जाता है। पर क्या वाकई में इसकी जरुरत है। क्या माता-पिता के लिए हमारी जिंदगी में एक ही दिन महीने मायने रखता है। शायद हाँ या शायद ना।

बात उन दिनों की है जब मैं अपने ननिहाल (नानी का घर) अपनी नानी से मिलने गई थी। नानी ने इच्छा जताई कि उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन करने हैं। इसलिए पास हीं के एक मंदिर में भगवान के दर्शन को मैं नानी को ले गई। मैं अपनी नानी को दर्शन करवाकर पास के एक होटल में नाश्ता कराने के लिए लेकर गई। वहाँ मैंने देखा कि एक वृद्ध महिला इधर-उधर देखकर परेशान हो रही थी। मैंने वहाँ जाकर उनसे पूछा कि क्या बात है और किसे ढूँढ रही हैं। उन्होंने बताया कि वह अपने बेटे को ढूँढ रही है जो उसे वहाँ बिठाकर चला गया है। उनके बनाए हुए हुलिया के हिसाब से मैं भी उस सख्श को ढूँढने लगी। तब होटल के मालिक ने आकर मुझे एक दिल दहलाने वाली बात कही, उन्होंने कहा आप जिसे ढूँढ रही हैं वह आपको कभी नहीं मिलेगा। यह तो यहाँ अक्सर होता है। लोग यहाँ आते हैं और बुजर्ग माता-पिता को छोड़कर चलते बनते हैं। मेरे तो होश उड़ गए।

मैं अपनी नानी को सारी हकीकत बता दी, मन इस बात को मानने के लिए तैयार हीं नहीं था कि क्यों कोई अपने स्वर्ग को यहीं रास्ते पर छोड़ देते हैं। पर सच्चाई यही थी, मन विवश था पैर चल नहीं पा रहे थे अपने घर की ओर पर मुझे वृद्धा औरत को वहीं छोड़कर घर जाना पड़ा। पूरी रात मैं सो नहीं पायी सवेरे होते हीं मैं उस मंदिर की ओर अपना लक्ष्य बनाया, वह दृश्य देखर मेरा मन रो पड़ा। भिखारियों की कतार में एक ओर बगल में खड़ी भीख माँग रही थी। कल की वह वृद्ध स्त्री उनके साथ बैठकर भीख माँग रही थी। शायद उन्होंने इस बात को ग्रहण कर लिया था कि अब कोई नहीं आएगा।

हमारा देश भारतवर्ष अपनी सभ्यता और संस्कार के लिए माना जाता है। श्री राम और श्रवण जैसे महापुरूष

यहाँ जन्म लिए और आज यह क्या हो रहा है। क्या यह पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण है या जिंदगी में आगे बढ़ने की होड़। क्या कारण हो सकता है इसका? महाकवि कबीर ने कैकेयी के संबंध में कहा है कि पुत्र भले ही कुपुत्र हो पर माता कभी भी कुमाता नहीं हो सकती।

बहुत सोच विचार करने के बाद एक दृढ़ निश्चय लिया इनके लिए कुछ करना चाहिए। मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ एक एन.जी.ओ. की शुरूआत की, हमारे घर के पास हमारा एक मकान खाली पड़ा था, हमने उसे ही इनका आसरा बनाया और नाम दिया "आशा" बगल में होने के कारण नानी को भी एक मदद हुई।

आशा की स्थापना के पाँच वर्ष पूरे हो गए हैं, हर एक के जिंदगी में एक ऐसा क्षण आता है जो उनकी जिंदगी का रूख बदल देती है। मेरे जिंदगी में भी ऐसा हीं कुछ हुआ।

आशा यह एक अनाथ आश्रम नहीं है क्योंकि यह लोग अनाथ नहीं है। इनका तो भरा- पूरा परिवार है, जिन्होने अपने स्वार्थ और लालच के लिए इनका साथ छोड़ दिया। आशा तो इनके लिए एक किरण है, आशा की। यह एक ऐसी जगह है जहाँ ऐसे बेसहारों को अपनी जिदगी जीने की आशा मिलती है। यहाँ कोई बंधन नहीं, कोई तकरार नहीं। कोई मजबूरी नहीं, कोई फायदा या नुकसान नहीं, सब स्नेह और निःस्वार्थता के अदृश्य धागे से बंधे हुए रिश्ते-नाते हैं। जिस तरह हम बच्चों को गोद लेते हैं वैसे हीं ऐसे लोग भी है जो चाहते हैं कि उनके सर पर बुर्जुर्गों का हाथ हो, उन्हें अपना सकते है। आशा उनके लिए भी एक आशा की किरण है। "आशा" यह संस्था तो सिर्फ रोग के निवारण का उपाय है। पर इसका मूल कारण क्या है। हमें उसे जड़ से उखाड़ना है। ऐसी कौन सी मजबूरी हो सकती है जिसकी वजह से वह अपने माता-पिता के साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं।

व्यवहारिकता – मुझे लगता है कि यही कारण है इसका। हम अपने सारे रिश्ते-नाते व्यवहारिकता के नजर से देखते हैं, किसके साथ रहने से हमें फायदा है। किसका साथ छोड़ने से हमें फायदा है। हम अपने जीवन को फायदा-नुकसान के नजरिये से देखते है, इन दो शब्दों में हमने अपने जीवन को सीमित कर ली है।

हमें इस व्यवहारिकता के मोह-माया से बाहर आना है, यह एक दिन में होने वाला बदलाव नहीं है। अपने घर में अपने परिवार में अपने रिश्ते-नातों को संजोने है। आने वाले पीढ़ी को इस बात का एहसास दिलाना है कि माँ-बाप सिर्फ बिल भरने का साधन नहीं बल्कि वह इंसान है जो कितने कष्ट उठाकर अपने बच्चों को उनकी मंजिल तक पहुँचाते हैं। उनके सारे सपने पूरे करते हैं। यही एक ऐसा रिश्ता है जो बिना किसी व्यवहारिकता के अपनी जीवन रूपी पूँजी अपने बच्चों पर लगाता है और बदले में सिर्फ थोड़ा प्यार और इज्जत चाहते हैं। हमें उनका त्याग और परिश्रम का थोड़ा तो किश्त चुकाना है। मुद्दल न सही ब्याज तो हम चुका सकते है, उनके दिल को न दुखाकर।

माँ को माँ ही समझें सासू माँ या मेरी माँ नहीं। पैसे तो सब कमाते है पर इंसान कफन के अलावा कुछ नहीं ले जा सकता अपने साथ। हाँ, पर यादें और अपना कर्म छोड़ जाता है। हो सके तो अच्छा नाम और अच्छे कर्म करे। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि व्हाटस-अप और फेसबुक पर अच्छे पंक्ति लिखकर ढ़ेरों लाईक पाकर खुश होने के बदले कुछ क्षण अपने माता-पिता के साथ बिताएँ। पेड़ पर लगे पक्के पत्ते गिरने पर हँसने वाले, हरे पते भी एक दिन पेड़ से अलग होने वाले हैं यह बात न भूलें।

डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम- जनता के राष्ट्रपति

श्रीमती स्वाति दाते
पुस्तकालयाध्यक्ष, मुंबई

डॉ. अबुल पकीर जैनुलआब्दीन अब्दुल कलाम भारत के ऐसे पहले वैज्ञानिक हैं जो देश के 11वें राष्ट्रपति के पद के रूप में भी आसीन हुए। वे भारत के ऐसे तीसरे राष्ट्रपति भी हैं जिन्हें राष्ट्रपति बनने से पूर्व देश के सर्वोच्च सम्मान "भारत रत्न" से सम्मानित किया गया था। अन्य दो राष्ट्रपति थे- सर्वपल्लीन राधाकृष्णन एवं डॉ जाकिर हुसैन। डॉ अब्दुल कलाम भारत के इकलौते ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होने अविवाहित रहकर देश सेवा का व्रत लिया।

कलाम का जन्मः- डॉ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तामिलनाडु के रामेश्वरम कस्बे में छोटे से गांव में हुआ था। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। उनके पिता जैनुल आब्दीन नाविक थे। वो पांच वक्त के नमाजी थे और दूसरों की मदद के लिए सदैव तत्पर रहते थे। कलाम की माता का नाम आशियम्मा था। अब्दुल कलाम संयुक्त परिवार में रहते थे। अब्दुल कलाम के जीवन पर इनके पिता का बहुत प्रभाव रहा। वे पढ़े-लिखे नहीं थे लेकिन उनकी लगन एवं उनके दिए हुए संस्कार अब्दुल कलाम के काम आए। पांच वर्ष की अवस्था में रामेश्वरम के पंचायत प्राथमिक स्कूल में कलाम की शिक्षा का प्रारंभ

हुआ। उनकी प्रतिभा को देखकर उनके शिक्षक बहुत प्रभावित हुए और उनपर विशेष स्नेह रखने लगे। डॉ कलाम ने अपना बचपन बड़ा संघर्षमय बिताया था। वे प्रतिदिन सुबह 04 बजे उठकर गणित का ट्यूशन पढ़ने जाते थे। फिर लौटने के बाद अपने पिता के साथ नमाज पढ़ते, फिर पैदल ही अखबार बेचने चले जाते। 08 बजे तक अखबार बेचकर घर लौटते। फिर उसके बाद स्कूल चले जाते। प्राथमिक स्कूल के बाद उन्होने श्वाट्ज हायस्कूल रामनाथपुरम में हायस्कूल की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद 1950 में सेंट जोसेफ कॉलेज त्रिची में प्रेवश लिया। उन्होने भौतिक और गणित विषयों के साथ बी.एस.सी. की डिग्री प्राप्त की। उन्होने अपने सपनों को आकार देने के लिए एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का चयन किया।

डॉ कलाम का वैज्ञानिक स्वर्णिम सफरः- डॉ कलाम की इच्छा थी कि वे वायुसेना में भर्ती हों और देश की सेवा करें। परंतु इस इच्छा के पूरी न होने पर उन्होने रक्षा मंत्रालय के तकनीकी विकास एवं उत्पाद DTD&P(Air) का चुनाव किया। उन्होने 1958 में तकनीकी केन्द्र(सिविल विमानन) में वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक का कार्यभार संभाला। 1962 में "भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन" से वे जुड़ गए। यहां उन्होने विभिन्न पदों पर कार्य किया। डॉ अब्दुल कलाम को परियोजना महानिदेशक के रुप में भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह (एस.एल.वी) प्रक्षेपास्त्र बनाने का श्रेय हासिल हुआ। 1980 में इन्होने रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा के निकट स्थापित किया था। डॉ कलाम ने भारत को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से रक्षा मंत्री के तत्कालीन वैज्ञानिक सलाहकार डॉ. वी.एस. अरूणाचलम के मार्गदर्शन में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरूवात की। इस योजना के अंतर्गत "त्रिशूल" (नीची उड़ान भरने वाले हेलिकॉप्टर से विमानों तथा विमानभेदी मिसाइलों को निशाना बनाने में सक्षम), "पृथ्वी" (जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें, "आकाश" (जमीन से हवा में मार करने वाली एक सुपरसोनिक मिसाइल), "नाग" (हवा से जमीन पर मार करने वाली, "अग्नि" (उच्च तापमान पर कूल रहने वाली मिसाइल) एवं "ब्रह्मोस" रुस के साथ संयुक्त रुप से विकसित मिसाइल, धवनि से भी तेज चलने तथा धरती, आसमान और समुद्र में मार करने में सक्षम मिसाइलें विकसित हुई। डॉ. कलाम ने डी.आर.डी.ओ. का विस्तार करते हुए आर.सी.आई. नामक एक उन्नत अनुसंधान केन्द्र की स्थापना भी की। डॉ कलाम ने जुलाई 1992 से दिसंबर, 1999 तक रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार तथा डी.आर.डी.ओ. के सचिव के रुप में अपनी सेवाएं प्रदान की। 1999 में उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया। नवंबर, 2001 में प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार का पद छोड़ने के बाद उन्होने अन्ना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रुप में अपनी सेवाएं प्रदान की।

डॉ. कलाम 25 जुलाई 2002 को भारत के ग्यारहवें राष्ट्रपति के रुप में निर्वाचित हुए। 25 जुलाई 2007 तक इस पद पर वे कार्यरत थे।

"2000 वर्षों के इतिहास में भारत पर 600 वर्षों तक अन्य लोगों ने शासन किया है। यदि आप विकास चाहते हैं तो देश में शांति की स्थिति होना आवश्यक है और शांति की स्थापना शक्ति से होती है। इसी कारण प्रेक्षेपास्त्रों को विकसित किया गया ताकि देश शक्ति संपन्न हो"

-- डॉ. अब्दुल कलाम

डॉ. कलाम राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्ति नहीं थे लेकिन राष्ट्रवादी सोच और राष्ट्रपति बनने के बाद भारत की कल्याण संबंधी नीतियों के कारण इन्हें कुछ हद तक राजनीतिक दृष्टि से संपन्न माना जा सकता है।

डॉ. कलाम की लिखित पुस्तकेः डॉ. अब्दुल कलाम एक ऐसी सोच है जिनसे लाखों लोग प्रेरणा ग्रहण करते हैं। अरूण तिवारी द्वारा लिखित "दि विंग्स ऑफ फायर" उनकी जीवनी पर लिखित युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय है। डॉ. अब्दुल कलाम द्वारा लिखित "गाइडिंग सोल्स डॉयलाग्स ऑन द पर्पज ऑफ लाइफ" एक गंभीर कृति है, इन्होने इसमें अपनी आत्मिक विचारों को प्रकट किया है। उन्होने इग्नाइटेड माइंडसः अनशिलिंग द पावर विदीन इंडिया, एनविजनिंग एंड एमपावर्ड नेशन:टेक्नालॉजी फॉर सोसायटल ट्रांसफारमेशन, डेवलपमेंट इन फ्यूल्ड मेकैनिक्स एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, 2020- एन विजन फॉर न्यू मिलेनियम, इन विजनिंग ऐन एम्पावर्ड नेशनः टेक्नोलॉजी फॉर सोसाइटल ट्रासफॉरमेशन, यह पुस्तकें लिखी। इन्होने तमिल भाषा में कविताएं भी लिखी। "इंडिया-2020" इस पुस्तक में उन्होने देश के विकास का समग्र दृष्टिकोण दिखाया है। इस संकल्पना को उद्घाटित करते हुए, वे भारत को कृषि एवं खाद्य, उर्जा, शिक्षा व स्वास्थ्य, सूचना प्रोद्यौगिकी, परमाणु, अंतरिक्ष और रक्षा प्रोद्यौगिकी के विकास पर ध्यान देना होगा।

डॉ. कलाम को पुरस्कार/सम्मान

सम्मान/पुरस्कार का नाम - प्रदाता संस्था

1. डॉ. ऑफ साइंस - एडिनबर्ग विश्वविद्यालय, यू.के.
2. डॉ. ऑफ लॉ - साइमन फ्रेजर विश्वविद्यालय
3. भारत रत्न - भारत सरकार
4. रामानुजन पुरस्कार - अल्वर्स शोध संस्थान, चेन्नई
5. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार - भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

6. पद्म विभूषण - भारत सरकार
7. पद्म भूषण - भारत सरकार
8. वीर सावरकर पुरस्कार - भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
9. पी.एच.डी. - नेहरू टेक्नोलाजी यूनिवर्सिटी, हैदराबाद
10. डी.लिट. - विश्वभारती शांति निकेतन और डॉ बाबासाहेब अंबेडकर यूनिवर्सिटी, औरंगाबाद
11. डॉ ऑफ साइंस(मानद उपाधि) - अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़
12. नेशनल डिजाइन अवार्ड, 1980 - इंस्टीटयूशन ऑफ इंजीनियर्स, भारत
13. डॉ बिरेन रॉय स्पेस अवार्ड, 1986 - एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया
14. राष्ट्रीय नेहरू पुरस्कार - 1990 - मध्यप्रदेश सरकार

सादा जीवन जीने वाले तथा उच्च विचार धारण करने वाले डॉ कलाम ने 27 जुलाई को अपनी आंखिरी सांस ली। भारत की वर्तमान पीढ़ी उनके अनमोल विचारों से प्रेरणा हमेशा ग्रहण करती रहेगी।

डॉ. अब्दुल कलाम के अनमोल विचारः

"शिखर तक पहुंचने के लिए ताकत चाहिए होती है, चाहे वह माउंट एवरेस्ट का शिखर हो या आपके पेशे का"

"आकाश की ओर देखिए। हमे अकेले नहीं हैं। सारा ब्राह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं और मेहनत करते हैं उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है।"

नये नोट की गड्डी

श्री अशोक सिंह
उच्च श्रेणी लिपिक, जबलपुर

राम और श्याम दोनो अच्छे मित्र थे। लोग उनकी मिसाल दिया करते थे। दोनो ही अच्छे पदों पर कार्यरत थे। राम के उपर कई पारिवारिक जिम्मेदारियां भी थी, फिर भी मित्रता वश वह किसी भी जिम्मेदारी को उठाने में पीछे नहीं रहता था। श्याम जो कि बैंक में कार्यरत था, उसने मकान के निर्माण का कार्य शुरू करवाया। अचानक उसे 50,000/- रुपये की आवश्यकता थी। उसने राम से चर्चा की। राम ने रूपयों का प्रबंध कर दिया। घटना को घटित हुए करीब 4 वर्ष बीत गए। श्याम का आलीशान घर बन चुका था लेकिन राम पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण घर नहीं बना पाया। राम ने औपचारिकतावश कभी भी श्याम से अपने पैसे वापस करने के लिए नहीं कहे। श्याम मकान बनवाने के बाद पूरी तरह इस बात में जुट गया कि घर में किसी प्रकार की सुख-सुविधा की कमी न रहे। तमाम सुख सुविधा के साधन को घर में लाने का प्रयास करने लगा। इस चक्कर में संपन्नता के बाबजूद उसके अंदर अहंकार के साथ ही अशांति का चक्र शुरू हो गया। एक दिन राम श्याम से मिलने उसके घर पर गया। राम को महसूस हुआ कि इन वर्षों के दौरान श्याम के व्यवहार में काफी कुछ परिवर्तन आ गया था। श्याम ने औपचारिक रुप से उसका स्वागत किया। लेकिन उस स्वागत में आत्मीयता एवं गर्म जोशी का पूर्णतः अभाव था। बातों के दौरान श्याम ने बातों के दौरान श्याम ने राम से पूछा कि तुम्हे तो बैंक से नए नोट मिल जाते होंगे। श्याम ने बताया कि अब पांच के नोट नहीं छप रहे हैं। मेरे पास 2 नई गड्डी पड़े है, अगर तुम्हें गड्डी चाहिए तो 500 रू का नोट निकालो मैं अभी तुम्हें एक नई गड्डी देता हूं। राम ने कहा- यार क्या बात कर रहे हो, छोड़ो, रहने दो। इस पर श्याम बोला- एक तो नई गड्डी मिलती नहीं और मैं दे रहा हूं तो तुम मना कर रहे हो। लाओ, 500 रुपये का नोट दो, मैं तुम्हें नई गड्डी देता हूं। राम ने जेब से 500 रूपये का नोट निकाल कर श्याम को दिया। बैंककर्मी होने के नाते श्याम ने नोट को जांचना परखना शुरू कर दिया। संतुष्ट होने के बाद कि नोट नकली नहीं है, श्याम ने राम को कड़क 5 के नोट की गड्डी देते हुए इस भाव से देखा कि राम गड्डी पाकर कृतार्थ हो गया हो। राम सोचने लगा पैसे के मामले में श्याम किस मानसिक धरातल पर खड़ा है। उसका हृदय वेदना से भर गया। उसे लगा कि दुनियादारी के गणित में श्याम कहीं आगे चला गया है। एक-एक घटना चलचित्र के समान उसके आंखों के सामने आना शुरू हो गई। श्याम का विवाह हो रहा है। राम के हाथ में नए 10 के नोट की गड्डी वह नाचने वालों पर लुटाए जा रहा है। श्याम का मकान बन रहा है। घर वाले के विरोध करने पर भी उसने प्रबंध करके 50 हजार रुपये श्याम को दिए। उसने कभी ब्याज की कल्पना तक नहीं की। यदि होती तो 4-6 हजार ब्याज ही मिल जाता। नई गड्डी के लिए श्याम ने जिस तरह रुपये मांगे, उससे राम के भीतर तक कुछ चुभ गया। गड्डी लेकर उसने श्याम से विदा ली और घर की तरफ चल पड़ा। राम रास्ते में सोचते जा रहा था कि विनिमय धनराशि का ही हुआ पर वह स्वयं को ठगा सा महसूस कर रहा था। नई गड्डी के साथ भावनाओं का जो विनिमय हुआ उससे राम को लाखों रुपये के घाटे का एहसास हुआ।

ईश्वर का संदेश

श्री अशोक सिंह
उच्च श्रेणी लिपिक, जबलपुर

दोस्तों, कल रात मेरे सपने में ईश्वर आये। ईश्वर बहुत उदास थे। मैंने उनसे पूछा आप इतने उदास क्यों हो। ईश्वर ने जबाब दिया कि तुम इंसानों की वजह से उदास हूं क्योंकि तुम इंसानों के जीवन में जब भी कोई परेशानी आती है तो उसका दोष तुम मुझ पर लगाते हो। मैंने ईश्वर से कहा इसमें गलत क्या है। हमें हमेशा एक ही बात बताई जाती है कि इस संसार में जो कुछ भी होता है वह ईश्वर की इच्छा से होता है। पत्ता भी बगैर आपकी इच्छा से नहीं हिलता। इस बात से यह पता चलता है कि मनुष्य के जीवन में अगर कोई भी घटना या दुर्घटना घटती है तो उसमें आपकी ही इच्छा होती है। यह बात सुनकर ईश्वर थोड़ा सा मुस्कराए और उन्होने मुझसे कुछ सवाल पूछे।

ईश्वर ने मुझसे पूछा एक व्यक्ति रोज शराब पीता है और कई सालों तक शराब पीने से उसका लीवर खराब हो जाता है। सच बोलना उसके लीवर को खराब करने में मेरा क्या योगदान है। मैंने तो उसको इस दुनिया में एक स्वस्थ लीवर के साथ भेजा था। एक व्यक्ति के उपर बहुत सारा कर्जा है। वह भी मुझे दोष देता है कि मैंने उसकी किस्मत खराब बनाई है जिससे उसका कर्जा हो गया है जबकि मैंने जब उसे इस दुनिया में भेजा था तो उस पर कोई कर्ज नहीं था। एक व्यक्ति बहुत गरीब है। एक साधारण सी नौकरी करता है लेकिन उस नौकरी को छोड़ने को तैयार नहीं। उसे जो इस नौकरी से मिल रहा है वह उससे ज्यादा पाने का प्रयास नहीं करता है और वह भी मुझे ही दोष देता है कि उसे गरीब मैंने बनाया है। जब सास और बहू की नहीं बनती तो वह भी कहती है कि कैसी बहू भगवान ने हमें दी है। जबकि मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब वे लोग बहू देखने गए थे तो क्या मुझे साथ ले गए थे। तो फिर मुझे दोष क्यों देते हैं। जब पति-पत्नी की आपस में नहीं बनती तो वह भी यही कहते हैं कि भगवान ने कैसी जोड़ी बनाई है जबकि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। यह सब उन दो परिवारों या लड़के-लड़की की आपसी पसंद से हुआ है। किसी को बिजनेस में बहुत नुकसान हुआ है, वह भी यही कहता है कि सब मैंने ही करवाया है जबकि जिन गलतियों की वजह से नुकसान हुआ है उसका दोषी वह खुद ही था। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है जिसमें आप मुझे दोषी ठहराते हैं। और आपकी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जब आप जीवन में कुछ अच्छा करते हैं तो उसका श्रेय अपने आप को देते हैं कि ये आपकी वजह से हुआ है। और जब कुछ गलत होता है तो उसका दोष मुझ पर थोप देते हैं।

मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर मैं आपको आपके बच्चों की किस्मत लिखने का अधिकार दूं तो आप अपने बच्चों की किस्मत कैसी लिखेंगे। मैंनें कहा कि मैं अपने बच्चों की किस्मत बेहतर से बेहतर लिखूंगा। मैं लिखूंगा कि मेरे बच्चों को जिंदगी में की दुख न हो, वे हमेशा खुश रहें, उनको हर वह खुशी मिले जो वह चाहते हैं। फिर ईश्वर ने मुझसे पूछा कि अगर आपका एक बच्चा नालायक है और आपका कहना नहीं मानता है और दूसरा बच्चा समझदार है और आपका कहना मानता है। इन दोनों की किस्मत आप कैसे लिखोगे। मैंने कहा कि दोनो बच्चे मेरे हैं, इसलिये मैं नालायक और समझदार दोनो की किस्मत एक जैसी और अच्छी ही लिखूंगा। ईश्वर थोड़ा सा हंसे और और मुझसे बोले मैं कौन हूं? आप सभी मुझे परम-पिता परमेश्वर कहते हैं। इसका मतलब आप सभी मेरी ही संतान हैं। जब आप अपने बच्चों की किस्मत अच्छी लिखोगे तो मैं आपकी किस्मत बेकार कैसे लिख सकता हूं। हकीकत में मेरे पास आपकी किस्मत लिखने का कोई अधिकार नहीं है। मैं हर इंसान को एक जैसा बनाकर भेजता हूं और आप सबको एक चीज देकर भेजता हूं जिसका नाम है- कर्म। आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल आपके कर्मों का यह दुनिया आपको देती है। इसमें मैं तो कहीं भी नहीं हूं।

इस बात को अब मेरे तरीके से समझो, एक व्यक्ति शराब पीने में पैसा खर्च करता है। उसका शरीर खराब होगा क्योंकि उसका कर्म वैसा है। दूसरा व्यक्ति दूध-बादाम खाता है, उसका शरीर बहुत अच्छा होगा क्योंकि उसका कर्म वैसा है। एक व्यक्ति गलत ढंग से पैसा कमाता है, उसका जीवन उतना ही कांटो भरा होगा क्योंकि उसका कर्म वैसा है। दूसरा व्यक्ति इमानदारी से पैसा कमाता है। उसका जीवन उतना ही सकून भरा होगा क्योंकि उसका कर्म वैसा है। एक व्यक्ति गरीब घर में जन्म लेता है और अपनी मेहनत और इमानदारी से करोड़ो रुपये की संपत्ति बनाता है। यह उसका कर्म है। दूसरा व्यक्ति बना-बनाया सब कुछ खत्म कर देता है। यह उसका कर्म है।

एक परिवार में सब साथ रहते हैं, स्वर्ग जैसा जीवन जीते हैं, बहुत प्यार है उनमें, यह उनका कर्म है। दूसरे परिवार में साथ रहना नरक जैसा लगता है, यह उनका कर्म है।

इन बातों से मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज अगर आप सुखी हैं तो आप अपने कर्मों की वजह से और यदि आप दुखी हैं तो वह भी अपने कर्मों की वजह से। यह कर्म करने की ताकत अंतिम सांस तक आपके साथ रहेगी और अगर आप जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आज से, अभी से, अपने कर्मों को अच्छा करना शुरू कर दीजिए। आपका जीवन अच्छा होना शुरू हो जाएगा। यह बात कहकर ईश्वर मेरे सामने से गायब हो गए। मेरी आंखे खुल गई। मुझे समझ आ गया कि जैसा कर्म करूंगा, मुझे और मेरे परिवार को वैसा ही फल मिलेगा। अब समझने की बारी आपकी है।

प्यारी बिटिया

श्री अशोक सिंह
उच्च श्रेणी लिपिक, जबलपुर

नजरों से ओझल न हो जाओ तुम।
एक प्यारी सी नन्ही बिटिया हो तुम।
तुम बिन मैं अधूरा,
तुम बिन न जी सकूंगा जीवन पूरा।
जीवन हो हंसी-खुशी जैसा,
खुशियों से भरा हो आंगन मेरा।
मेरा सपना तुमसे है, मेरी ताकत तुमसे है,
नजरो ने ओझल न हो जाओ तुम
एक प्यारी सी नन्ही बिटिया हो तुम।
कैसे भेजूं तुम्हें आंखो से दूर,
तुमसे है मेरे परिवार में आनंद भरपूर।
नजरो से न ओझल हो जाओ तुम,
एक प्यारी सी नन्ही बिटिया हो तुम।
तुम हो मेरे घर की हरियाली,
तुम हो खुशियों का आधार,
तुम बिन था मैं अधूरा,
तुमसे है परिवार मेरा पूरा।
नजरों से ओझल न हो जाओ तुम,
एक प्यारी सी नन्ही बिटिया हो तुम।

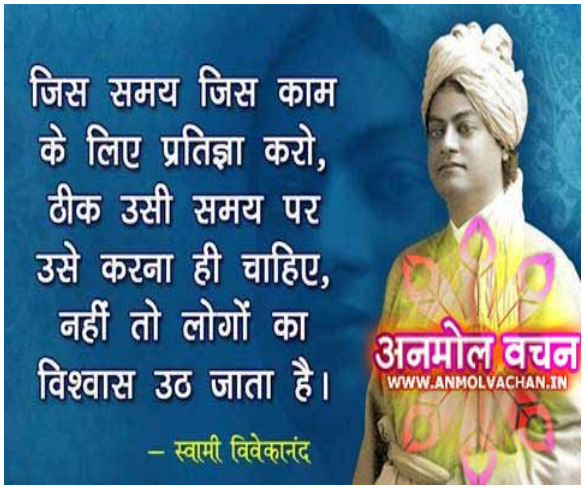

नारी शिक्षा का महत्व

श्री जयशंकर कुमार सिंह
अवर श्रेणी लिपिक, कोलकाता

मां सरस्वती जो स्वयं एक नारी रुप है, उन्हें शिक्षा, ज्ञान व विद्या की देवी कहा जाता है। फिर हम नारी शिक्षा के महत्व की कैसे अनदेखी कर सकते हैं।

विश्व के प्राचीनतम सभ्यता से जब हम रूबरू हुए अर्थात सिंधु सभ्यता से तो वो भी मातृ सतात्मक समाज था जहां स्त्रियों को सर्वाधिक महत्व दिया जाता था।

नारी शिक्षा के महत्व को गूढ़तापूर्वक समझने के लिए हमें सर्वप्रथम प्राचीनकाल से अब तक वर्तमान तक उनकी स्थितियों को समझना होगा। प्राचीन काल से ही हमारा समाज स्त्री प्रधान था। कई महिलाओं ने अपनी शिक्षा के कारण इतिहास में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। बौद्ध काल मे कई स्त्रियों की उपस्थिति दर्ज हुई है। हालांकि जैसे-जैसे मुस्लिम समाज बढ़ते गया, समाज में पर्दा प्रथा का प्रचलन भी बढ़ता गया जो नारी शिक्षा के क्षेत्र में एक अभिशाप साबित हुआ।

सल्तनत काल में स्त्रियों की दशा बहुत ही दयनीय थी। परंतु मुगल काल में गुलबदन, जीजाबाई, मेहरूनिसा जैसे विद्वान भी उभरकर सामने आए। रजिया सुल्तान ने अपनी राजतंत्र विद्या के कारण प्रथम सुल्तान बनकर गुलाम वंश पर शासन भी किया।

ब्रिटिश काल के आने के बाद भारत में नारी शिक्षा का महत्व बहुत ही कम हो गया। परंतु आजादी के बाद हमारे देश में नारी शिक्षा का स्तर कुछ उपर उठा।

आजादी के बाद स्त्रियों की दशा सुधारने तथा उन्हें ज्यादा से ज्यादा शिक्षित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए तथा कई आयोगों का गठन भी किया गया जो निम्नलिखित है-

1. राष्ट्रीय महिला विकास आयोग- 1954 में समाज सेविका दुर्गाबाई देशमुख के द्वारा इसका गठन किया गया जिसका उद्देश्य नारी शिक्षा को बढ़ावा देना तथा उनके विकास के लिए उन्हें शिक्षा की ओर अग्रसर करना था।
2. राष्ट्रीय महिला विकास परिषद- 1959 में इसका गठन भी महलाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक बनाना था तथा उनके शिक्षा के ग्राफ को और उपर लेकर जाना था।

3. हंसा मेहता कमिटी- इसका गठन 1961 में किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य यह था कि क्या बालक तथा बालिकाओं के पाठ्यक्रम में अंतर होना चाहिए। क्या लड़कियों का अलग तरीके का पाठ्यक्रम होना चाहिए।

अतः आजादी के बाद समय-समय पर हमारे देश में नारी शिक्षा के महत्व को जानकर उनके सुधार के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। खैर ये तो हमारे देश के नारियों के शिक्षा के प्रति उनकी घटनाओं का क्रमवार था।

विश्व के लगभग सभी विकसित एवं विकासशील देशों में भी आज स्त्री अपने शिक्षा के बल पर देश के विकास में एक अहम भूमिका निभा रही है। अमेरिका, फ्रांस, इटली, जापान, जर्मनी, चीन, रसिया, भारत और भी अन्य कई देश ऐसे हैं जहां स्त्रियों का समाज में उनकी शिक्षा के कारण महत्व है। हालांकि मुस्लिम राष्ट्रों में पर्दा प्रथा, पुरूष प्रधान समाज के कारण स्त्रियों की दशा जरूर दयनीय है परंतु वहां भी लोग अब नारी शिक्षा के महत्व को समझते हुए उन्हें शिक्षित करने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं। इसका सबसे बड़ा जीवंत उदाहरण तालिबान देश के उस क्षेत्र की एक लड़की 'मलाला युसुफजाई' है जहां लड़कियों को शिक्षित होने पर पाबंदी थी। आज मलाला युसुफजाई शिक्षा को आगे बढ़ाने के कारण विश्व की सबसे कम उम्र की नोबल पुरस्कार विजेता बनी।

नारी शिक्षा का महत्वः- स्त्री हमारे समाज का आधार स्तंभ है। बिना उनके शिक्षित हुए हमारा शिक्षित होना कठिन है। नारी एक मां के रुप में, एक पत्नी के रुप में, एक बहन के रुप में और ना जाने कितने रुप में हमारे साथ रहती है। अगर एक मां शिक्षित होगी तभी वो अपने बच्चे को सही और गलत में अंतर समझा पाएगी। एक बच्चे पर सबसे ज्यादा असर उसकी मां का होता है। बालक का प्रथम विद्यालय उसकी मां होती है। महात्मा गांधी जो आज पूरे विश्व में पूजनीय हैं, उनपर सबसे ज्यादा प्रभाव उनकी मां का था। शिवाजी को वीरता का पाठ उनकी मां से ही मिला था।

अर्थात प्रत्येक स्थिति में एक नारी का शिक्षित होना हर रुप में लाभकारी तथा महत्वपूर्ण है। आज चंदा कोचर विश्व की अग्रणी बैंक आई.सी.आई.सी.आई. प्रधान हैं। इंदिरा नूई विश्व की प्रतिष्ठित पेप्सिको कंपनी की सी.ई.ओ. है। कल्पना चावला ने अपने तकनीकी ज्ञान के कारण पूरे विश्व में भारत का नाम रौशन किया। सुनिता विलियम्स ने अपनी उच्च शिक्षा के कारण सौर मंडल में लगातार 45 दिनों तक रहकर पूरे विश्व में अपने नाम का परचम फहराया।

आज आई.ए.एस. की परीक्षा हो या आई.आई.टी. की या मेडिकल की, हमारे देश में नारी पुरूष वर्ग को कड़ी टक्कर दे रही है। आज वो हर जगह टॉप कर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। हमारा देश सही रुप में तब तक विकास नहीं कर सकता जबतक हम स्त्रियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ने देंगे। शहरों में स्त्रियों ने अपने शिक्षा के ग्राफ को जरूर ठीक कर लिया है परंतु आज भी हमारे देश के गांवों में स्त्रियों की जो दशा है, उसे संतोषजनक नहीं कह सकते। कम शिक्षा अथवा शिक्षा के अभाव के कारण ही आज भी गांव में बाल-विवाह, पर्दा प्रथा, बाल मजदूरी, विधवाओं की दयनीय स्थिति मे बढोतरी हो रही है।

अगर हमारे समाज की नारी शिक्षित होगी तो उन्हें सताया नहीं जा सकेगा। पुरूष सिर्फ उन्हें चूल्हा फूंकने के लिए नहीं समझेंगे। स्त्रियों को बाल-विवाह जैसे गलत सामाजिक कुरीतियों से बचाने के लिए उन्हें शिक्षित करना अत्यंत आवश्यक है। अगर वो शिक्षित होंगी तभी अपने बच्चों को सही ज्ञान दे पाएगी। समाज को एक सही दिशा दे सकेंगी। हमारा देश सही रुप में तभी विकसित कहलाएगा जब हमारे देश में नारी हमारे हर अहम फैसलों पर अपना योगदान सही रुप में दे पाएंगी और हमारे देश को तरक्की की ओर अग्रसर करने में हमारा साथ देंगी।

आज हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी स्त्री शिक्षा के महत्व को समझते हुए "बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ" योजना चलाया है। जय ललिता, ममता बनर्जी, वसंधरा राजे, आनंदी बेन पटेल, ये सभी अपने राज्य के मुख्यमंत्री के पद को संभाल रहे हैं। सोनिया गांधी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी की कमान संभाले हुए है। इन्ही सबसे तो ये आसानी से समझा जा सकता है कि ये उनकी शिक्षा का ही असर है जो आज हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है।

निष्कर्षः – नारी को आज उतना ही शिक्षा का अधिकार है, जितना पुरूषों का। आज विश्व के सभी विकसित देशों के जी.डी.पी. में वहां की कामकाजी शिक्षित महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। अगर हम उन्हें सही शिक्षा देंगे तभी समाज का विकास होगा। अगर नारी को पुरूषों की अर्द्धांग्नी कहा जाता है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में भी बराबर हक दें। अगर एक नारी शिक्षित होगी तभी हमारा विकास होगा, हमारे देश का विकास होगा, पूरे विश्व का विकास होगा।

अगले जनम मुझे बिटिया ही देना

श्री जयशंकर कुमार सिंह
अवर श्रेणी लिपिक, कोलकाता

पूरा हिंदुस्तान अपनी आजादी का जश्न मना रहा था। गांव-गांव की गलियों में लोग गांधी का नाम लेकर भारतीय तिरंगे को हाथों में ले खुशी जता रहे थे। उन्हीं खुशियों के बीच बिहार के बाढ़ जिले के एक छोटे से गांव में एक हेडमास्टर के घर दुगनी खुशी मनाई जा रही थी क्योंकि आज उनके यहां उनकी पहली संतान का जन्म हुआ था। एक फूल सी बेटी जिसका नाम रखा जानकी। मां सीता का एक नाम और सीता मां की तरह उसकी छवि थी। घर की सबसे पहली और बड़ी संतान होने के कारण पूरे घर की वो दुलारी थी। बाद में जानकी के पांच और बहने और एक भाई का जन्म हुआ। किंतु फिर भी जानकी अपने मां-बाप की सबसे प्यारी बिटिया थी।

चूंकि जानकी के पिता स्वयं एक स्कूल के हेडमास्टर थे। स्वयं शिक्षित थे। अतः उन्होने अपने सभी बच्चों को भी शिक्षा के लिए स्कूल भेजा और उन्हें शिक्षित किया। जैसे ही जानकी के खिलौने से खेलने की उम्र खत्म हुई कि हेडमास्टर साहब ने सोचा कि चलो अब बड़ी बेटी की अच्छे घर में शादी कर दी जाए।

कुछ मेहनत के बाद उन्हें एक अच्छा सा परिवार भी मिल गया। लड़का भी पढ़ा लिखा था और एक अच्छे किसान परिवार से था। अतः जल्द ही जानकी का विवाह उस किसान परिवार में कर दिया। जानकी अपने सभी सहपाठियों, सहेलियों एवं गुड़ियों-खिलौनो को छोड़कर अब एक नई जिम्मेदारी संभालने एक नए घर में आ गई। अब उसे इस नए घर में अपने सास ससुर तथा बड़ों के सामने लंबा सा घूंघट डालकर रहना पड़ता था। बात-बात पर हंसने वाली जानकी को यहां जोर से हंसना मना था। बाहर निकलना मना था। शायद नया परिवार धनी तो था परंतु शिक्षा का अभाव जरूर था।

भारत अंग्रेजों से यहां जरूर आजाद हो गया था परंतु सामाजिक कुरीतियों से आजाद नहीं हुआ था। शादी के बाद नए घर में पहली बार पता चला कि लड़कियों का समाज में कोई महत्व नहीं होता। उन्हें फैसले लेने का अधिकार नहीं होता। पीढ़ी को आगे बढ़ाने तथा बुढ़ापे का सहारा होने के लिए सिर्फ लड़को को ही महत्व दिया जाता है। इन्हीं कुरीतियों का प्रभाव अब शादी के एक साल बाद जानकी पर पड़ने लगा था। जानकी अपनी पहली संतान को जन्म देने वाली थी परंतु घर के सभी लोग घर में आने वाले नए मेहमान का पहले ही फैसला कर चुके थे और जानकी की सास तो हमेशा कहती "देखना हमारे घर में पोता ही होगा और मुझे पोता ही चाहिए। " यह सब सुनकर जानकी अंदर ही अंदर डरी सहमी रहती, सोचती कि अगर लड़की हुई तो क्या होगा?

भगवान की मर्जी के आगे कुछ नहीं चलता और जानकी ने अपनी पहली संतान को जन्म दिया, परंतु दुर्भाग्यवश वो संतान एक लड़की थी, जानकी की तरह ही प्यारी और नन्ही सी बेटी। पूरे घर में मातम पसर गया। अब तो जानकी की सास उससे ठीक से बात भी नहीं करती थी। एक साल यू हीं गुजर गया और एक बार फिर वही फैसले की घड़ी, परंतु दुर्भाग्यवश फिर एक प्यारी सी बेटी। और फिर दूसरी बेटी के जन्म के बाद सास के जुल्म भी पैदा होने लगे। पति के तानों को अलग सुनना पड़ता था।

खैर भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। जानकी ने अपनी तीसरी संतान के रुप में एक पुत्र को जन्म दिया। पूरा परिवार खुशियों से झूम उठा। जानकी की भी फूली नहीं समा रही थी। अपने गोद में पुत्र को लेकर उसे अपलक निहारती और भविष्य की खुशियों के गोद में स्वयं चली जाती और सोचती चलो मेरा भी बुढ़ापे का सहारा आ गया। अब यही मेरे वंश को आगे बढायेगा।

हिंदुस्तान अब अपनी आजादी का 40वां साल मना रहा था। आज लोग खुश तो थे पर शायद अब आजादी की वो पहले वाली खुशी नहीं थी। कुछ गांव शहर बन गए थे और कुछ गांव के लोगो ने अब गांधीजी की सिर्फ जीवनी पढ़ी थी। आज जानकी पांच संतानों की मां थी। तीन बेटियां और दो बेटे तथा आज उसके बड़े बेटे की धूमधाम से शादी हो रही थी परंतु जानकी ने पहले ही सोच रखा था कि वह अपनी बहू पर अपना कोई फैसला नहीं थोपेगी।

शादी के बाद जब नई बहु घर आई तो बहू ने जानकी से कहा कि वह आगे की पढ़ाई करना चाहती है। अतः जानकी ने खुशी पूर्वक अपनी बड़ी बहू तथा बड़े बेटे को पढ़ने के लिए शहर भेज दिया। जानकी के तीनों बेटियों की शादी पहले ही हो चुकी थी। जानकी के सास-ससुर भी

परलोक सिधार चुके थे। अब घर में केवल तीन ही लोग थे। जानकी, उसका पति और उसका छोटा बेटा जो अभी गांव के ही स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। बड़े बेटे के शहर जाने के बाद वो कुछ अकेली हो गई थी। अब कुछ बीमार भी रहने लगी थी। कई बार गांव के सरपंच के घर से टेलिफोन कर बड़े बेटे को अपनी अवस्था के बारे में बताया पर वह अपनी पढ़ाई के बाद नौकरी में अति व्यस्तता के कारण नहीं आ पाता था और ना ही उसकी पत्नी जा पाती थी जो स्वयं नौकरी करती थी।

समय एक सा नहीं रहता है। बहु-बेटे को शहर गए 10 वर्ष बीत चुके थे। जानकी के पति का सारा खेत बाढ़ के पानी मे डूब चुका था तथा गंगा नदी की धारा मुड़ने के कारण शायद उस जमीन का उपर आना भी आने वाले वर्षों में मुश्किल था। जानकी के पति का अनाज का व्यापार भी घाटे में चला गया। अब तो पेट भर खाने की भी आफत आ गई। महीनें में बेटे का एकाध बार फोन आता, जानकी कुछ दुखड़ा बयान करे, उससे पहले ही बेटा अपना रोना रोने लगता। चूंकि जानकी एक स्वाभिमानी महिला थी, अतः बेटे से कुछ मांगना भी उचित नहीं समझती थी। किसी तरह उसके जीवन का गुजर बसर चल रहा था। जानकी ने एक-एक करके अपने सारे जेवर बेच दिए। फिर जो थोड़ी जमीन बची थी, उसे भी बेच दिया। किंतु पेट की आग शांत न हो सकी।

जानकी के सामने एक कहावत सिद्ध हो रही थी कि "बैठकर खाने वाले सोने की ईट भी खा जाते हैं। " अब उसके पास बेचने को कुछ भी न था। छोटा बेटा अभी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था। जानकी ने फिर अपने बड़े बेटे को फोन किया किंतु बड़ा बेटा इस बार भी अपनी परेशानी का हवाला देकर अपना पल्ला झाड़ लिया। जानकी के सामने अब अंधेरा सा छाने लगा। अब चिंताएं उसके चेहरे पर भी झलकने लगी थी। अब उसके सारे बाल सफेद हो चुके थे। चेहरे की कांति झुरियों में खो चुकी थी। अनेक बीमारियों ने उसके शरीर के अंदर अपना घर बना लिया था। बस उसे अब चिंता थी तो अपने सिर्फ अपने छोटे बेटे की।

परंतु भगवान ने अब बुढ़ापे की लाठी को बदलने की सोच ली थी। घर की हालत देखकर जानकी की तीनों बेटियों ने निर्णय किया कि अब उन्ही तीनों को माता-पिता की देखभाल करनी है। हालांकि जानकी ने इसके लिए मना किया परंतु उसकी तीनों बेटियों ने एक-एक करके उसका ख्याल रखना शुरू किया। चाहे खाने की चिंता हो या कपड़ों की चिंता या त्योहारों पर खुशियां मनाने की, सारी चिंताओं को उसकी बेटियों ने खत्म कर दिया। 15 वर्षों तक तीनों बेटियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी जानकी का ख्याल रखने में।

जानकी एक बात हमेशा अपने बच्चों को कहा करती थी- "सब दिन होत न एक समान"। अब फिर से हालात बदल चुके थे। गंगा की धारा एक बार फिर मुड़ चुकी थी। सारी जमीनें वापस आ गई। घर में फिर से अनाज आने लगा। छोटे बेटे की भी एक सरकारी संस्थान में नौकरी लग गई। शायद खुशियों के दिन वापस आ चुके थे। लेकिन जानकी अब अत्यंत वृद्ध हो चुकी थी। अब उसकी उम्र लगभग 70 वर्ष हो चुकी थी। परंतु उसका बड़ा बेटा अभी भी उसे महीनों में फोन करता। सुनने में आया था कि वह किसी बड़े कॉलेज का प्रिंसिपल बन चुका था। उसकी बहू भी किसी कॉलेज में प्रोफेसर थी। किंतु अभी भी जानकी के बेटे-बहू एक-दो वर्षों में एक-आध बार दो दिनों के लिए गांव आते और चले जाते। जानकी ने अपनी अवस्था को देखते हुए जल्द ही अपने छोटे बेटे की शादी करवा दी। शादी के तीन महीने बाद ही जानकी के छोटे बेटे ने मां से झिझकते हुए कहा- "मां, मैं अपनी पत्नी को अपने साथ मुंबई ले जाना चाहता हूं। " मां ने एक बार बेटे को देखा, फिर मुस्कुराई और सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। अब जानकी अपने घर में पति के साथ अकेली थी। तीनों बेटियां समय-समय पर उनका ध्यान रखने जरूर आती।

अब जानकी को स्वयं ही एहसास होने लगा कि अब वो कुछ ही दिनों की मेहमान है। अतः उसने अपने सारे बच्चों को खबर भिजवा दी कि वो अपने अंतिम समय में एक बार अपने सारे बच्चों को एक साथ देखना चाहती है। तीनों बेटियां तुरंत ही उसके पास पहुंच गई। मां की बिगड़ती हालत को देखकर तीनों बेटियों ने जानकी को एक सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया। अब तो जानकी बीमारी के कारण अन्न-जल का भी त्याग कर चुकी थी। डॉक्टरों ने उसकी बिगड़ती हालत को देखकर उसकी बेटियों को बताया कि बस अब जानकी कुछ और ही दिनों की मेहमान है। तीनों बहनों ने फौरन अपने दोनो भाईयों को जल्द से जल्द आने को कहा। जानकी ने ईच्छा जताई कि वो अपनी अंतिम सांसे अपने घर में लेना चाहती है। अतः तीनों बेटियां उसे उसके घर ले आई।

एक छोटे से खाट पर मरणासन्न सी लेटी हुई जानकी को चारो ओर से गांव के पुरूष एवं महिलाओं ने घेर रखा था और जानकी की अच्छाई की बातें कर रहे थे। तीनों बेटियां मां के पैर दबा रही थी और उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। जानकी के पति भी एक ओर दूसरी खाट पर लेटे दीवारों को निहार रहे थे। जानकी इतनी कमजोर हो चुकी थी कि अब उससे बोला भी नहीं जाता था। उपर से शांत एवं स्थिर दिख रही जानकी की आंखे जरूर बंद थी किंतु अंदर एक उथल पुथल मचा हुआ था। वो सोच रही थी कि अगर बुढ़ापे की लकड़ी बेटे ही होते हैं तो फिर उसका सहारा उसकी बेटी कैसे बनी। कैसे सुख और दुख

दोनो ही समय उसकी बेटियां फौलाद बनकर उसके साथ खड़ी रही। आज भी उसका बेटा उसे अंतिम यात्रा की विदाई देने नहीं आ सका। उसके चारो ओर खड़े गांव वाले भी दबी जबान में उसके बेटों के न आने की चर्चा कर रहे थे। फिर जानकी ने धीरे से अपनी आंखे खोली और चारों तरफ खड़े समाज के लोगों को देखने लगी। और जाने से पहले उसने पाखंडी समाज के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा कि बेटा ही सबकुछ नहीं होता। उसने यह एहसास दिलाया कि संतान सिर्फ संतान होती है, "बेटा या बेटी नहीं" उसने यह एहसास दिलाया कि एक औरत ही समाज को संपूर्ण बनाती है। वह आंखों से ही समाज के लोगों से सवाल कर रही थी कि "क्या जिनकी सिर्फ बेटियां होती हैं, वो मां-बाप कभी खुशी नहीं मनाते? जिनकी सिर्फ बेटियां हों, उनका नाम समाज से खत्म हो जाता है?, जिन्हें औलाद के रुप में बेटा प्राप्त हो गया, उन्हें सारा सुख मिल जाता है? क्या समाज में बेटी पैदा करना गुनाह है? " अचानक जानकी के चेहरे की झुर्रियां सूर्ख होने लगी, शरीर कांपने लगा। शायद जानकी कुछ बोलना चाह रही थी और इसके लिए वह अपने शरीर की सारी ताकत झोंक रही थी। बेटियों ने फौरन ही चम्मच से पानी की कुछ बूंदें मां के मुंह में डाला। फिर जानकी का थोड़ा सा मुंह खुला और धीरे से आवाज निकली "भगवान करे अगले जन्म में तुम तीनों फिर से मेरी बेटी बनना। " इसके साथ ही तीनों बेटियों के मुंह से एक भयानक चीत्कार चारों और फैल गई, जो यह बता रही थी कि जानकी अब अपने बुढ़ापे की लकड़ी को छोड़ चुकी थी और रूढ़िवादी विचारधाराओं से भरे समाज की कैद से भी आजाद हो चुकी थी। हिंदुस्तान भी अब अपनी आजादी की 70वीं वर्षगांठ के जश्न की तैयारी कर रहा था।

ए जिंदगी (स्वरचित)

सुनील
अवर श्रेणी लिपिक, नागपुर

तुझको ये जिंदगी, मैं समझ ना पाऊगा।
तेरे इरादों को ना समझा मैंने।
क्या अपनी हसरतों को समझ पाऊंगा।
वो बीते कल, याद आते हैं हर पल।
आंखें भर आती है जो कभी हंसाते थे।
उन दिनों लम्हें बड़े जागे थे।
आंखों में अरमान थे, सपने बड़े प्यारे से थे।
बस हसरतों में चला करता था, ख्वाबों में बसा करता था।
कैसे उन यादों को भूल पाऊंगा।
तुझको ऐ जिंदगी, मैं समझ ना पाऊंगा।

चलना भी था और लंबा था रास्ता।
न जाने तेरी राहों में, पड़ा किस-किस से वास्ता।
आगे सफर था और पीछे हमसफर था।
रुकते तो सफर छूट जाता और चलते तो हमसफर छूट जाता।
मंजिल भी पानी थी और उनसे मुहब्बत भी पुरानी थी।
ए दिल तू ही बता, उस वक्त कहां जाता।
अब वो वक्त कहां से लाऊंगा।
तुझको ये जिंदगी, मैं समझ ना पाऊगा।

मुद्दत का सफर भी था और बरसो का हमसफर भी था।
रूकते तो बिछड़ जाते और चलते तो बिखर जाते।
यू समझ लो।
प्यास लगी थी गजब की, मगर पानी में जहर था।
आग लगी थी मन में और वीराने में शहर था।
पीते तो मर जाते, ना पीते तो मर जाते।
जिंदगी से भागकर हम कहां जाते।
भागना जो चाहे, कहां भाग पाऊंगा।
तुझको ये जिंदगी, मैं समझ ना पाऊगा।

बस यही दो मसले, जिंदगी भर ना हल हुए।
ना नींद पूरी हुई, ना ख्वाब मुकम्मल हुए।
वक्त ने कहा काश, थोड़ा और सब्र होता।
सब्र ने कहा काश, थोड़ा और वक्त होता।
इसी कश्मकश में, मुहब्बत का साथ छूटा।
बड़े अरमानों से संजोया जिसे, वो मंजिल का ख्वाब टूटा।
अब टूटे ख्वाब को, कैसे जोड़ पाऊंगा।
तुझको ये जिंदगी, मैं समझ ना पाऊगा।

अब जिंदगी के पैमाने को, भर न पाता हूं।
कहीं जाना जो चाहूं तो, कहां जा पाता हूं।
रंग भरूं तो कैसे, तस्वीर अधूरी पड़ी है।
साथ चलूं तो किसके, अब तो साया भी दूर खड़ा है।
अधूरी प्यासों ने, ये एहसास दिलाया।
अधूरी आहों ने, यू जीना सिखाया।
दिल की तड़प को, कैसे रोक पाउंगा।
तुझको ये जिंदगी, मैं समझ ना पाऊगा।

सुबह सुबह उठना पड़ता है, कमाने के लिए साहब।
आराम कमाने निकलता हूं, आराम छोड़कर।
ख्वाब पूरा करना चाहता हूं, ख्वाब तोड़कर।
हुनर सड़कों पे, तमाशा करती है।

और किस्मत तो महलों में राज करती है।
पर चुप इसलिए हूं कि जो दिया तूने वो भी बहुतों को नसीब नही होता।
जो दो पल साथ चले वो उम्र भर के लिए करीब नहीं होता।
उन पलों को कैसे लौटा पाउंगा।
तुझको ये जिंदगी, मैं समझ ना पाऊगा।

पर्यावरण संरक्षण

शीतल श्रीहरि घोटगे,
अवर श्रेणी लिपिक, मुंबई

समस्त विश्व भर में पर्यावरण और उसके संतुलन की चर्चा हो रही है। पर्यावरण क्या है, उसका संतुलन क्या है, संतुलन क्यों नहीं है, ऐसे अनेक प्रश्न उठ रहे हैं। आज कल इनका महत्व बढ़ गया है क्योंकि पर्यावरण विघटन समस्याओं ने वर्तमान में ऐसा विकराल रुप धारण किया है कि पृथ्वी पर समस्त प्राणी मात्र के अस्तित्व को लेकर भय पूर्ण आशंकाएं पैदा हो गई है।

प्रकृति में समय-समय पर मनुष्य द्वारा की गई छेड़छाड़ से हो रहे नुकसान को देखने के लिए दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे विश्व में बढ़ते प्रदूषण, कटते जंगल, फैलते रेगिस्तान, लुप्त होते पेड़-पौधे और जीव-जंतु, गांव और शहरों में फैलती गंदी हवा और हर साल बढ़ते बाढ़ और सूखे के प्रकोप, इस बात के साक्षी हैं कि हमने अपनी धरती और हमारे पर्यावरण की सही देखभाल नहीं की है। इसका असर समस्त विश्व भर में बिना किसी भेदभाव के विश्व, वनस्पति, जीवन और प्राणी मात्र पर समान रुप से पड़ रहा है।

पर्यावरण प्रकृति की ही देन है। अपने आस-पास के वातावरण से ही पर्यावरण बनता है। पृथ्वी को चारो ओर से घेर कर पर्यावरण हमारी रक्षा करता है। इसी प्रकार प्रकृति हर छोड़ी-बड़ी हमारी आवश्कताओं को पूरा करती है। प्राचीन काल में स्वच्छ एवं संतुलित वातावरण था क्योंकि मनुष्य आधुनिक नहीं हुआ था। जैसे-जैसे मनुष्य ने आधुनिकता का जामा पहनना आरंभ किया पर्यावरण दूषित होने लगा। बढ़ती आबादी ने सोने पे सुहागे का काम किया। यातायात के साधन आधुनिकता का पहला चरण था। फिर तो परमाणु संयंत्र, फैक्टरियां आदि ने वातावरण का नाश करना शुरू कर दिया। आज जो वातावरण है दूषित है, मनुष्य को इस दूषित वातावरण से कितनी सारी समस्याओं का सामना कर पड़ रहा है। इन समस्याओं से बचने के लिए हमें पर्यावरण संरक्षण करना आवश्यक है।

पर्यावरण संरक्षण का हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत महत्व है। हमारे धर्मग्रंथों और नीति विधानों में पर्यावरण की रक्षा और उसके सम्मान के प्रति प्राचीन काल से ही लिखा गया है। हमारे संस्कारों में हमें पेड़ के, नदी के, पर्वत के आदि प्रकृति के प्रति समानता और सम्मान ही सिखाया जाता है।

पर्यावरण संरक्षण की सार्थक पहल तभी हो सकती है जब हम अपनी नदियों, पर्वत, पेड़-पौधों, जीव-जंतु, पशु-पक्षी, प्राण वायु और अपनी धरती को बचा सकें। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के स्तर पर कार्य करना होगा। सारे देशों के पर्यावरण एवं सरकारी विकास नीतियों में समानता आए, इसके लिए प्रेरणात्मक लोक जागरण अभियान शुरू करने होंगे। आज यह आवश्यकता है कि हमारे मूलभूत अधिकारों में स्वच्छ एवं सुरक्षित पर्यावरण को शामिल किया जाए। हमें सारे स्थानीय लोगों को एवं हर उम्र के लोगों को पर्यावरण संरक्षण का महत्व समझाना होगा। युवा पीढी को समझाने के लिए स्कूली शिक्षा में ही परिवर्तन लाना होगा। पर्यावरण मित्र के रुप में सभी विषय पढ़ाने होंगे। विकास की नीतियों को अपनाते समय प्रकृति के प्रति होने वाले प्रभाव पर सम्मिलित ध्यान देना होगा।

आज हमें यह मानना होगा कि हरा- भरा पर्यावरण ही हमारी प्रतिकात्मक शक्ति है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग, बढ़ता प्रदूषण और लुप्त होते पेड़ पौधे हमें चेतावनी दे रहे हैं। हमे चेतना होगा, ऊर्जा के लिए प्रदूषण रहित उपाय अपनाने होंगे और मानव जनित प्रदूषण कम को कम करने की कोशिश करनी होगी। वन संरक्षण और वृक्षारोपण से पर्यावरण को मजबूत किया जाना चाहिए।

पर्यावरण संरक्षण के दो बिंदू हैं-

1. प्राकृतिक संपदा का उचित उपयोग करना
2. प्रकृति में हो रहे मानव घटित प्रदूषण को कम करना

पर्यावरण संरक्षण के लिए लोक जागरण आवश्यक है। मनुष्य को अपने आस-पास के वातावरण से अवगत करना जरूरी है। इसके लिए मीडिया महत्वपूर्ण कार्य करता है। आज कल हर भाषा के पत्र आते हैं। सभी पत्रों की पर्यावरण संरक्षण के प्रति लिखने की कोशिश होती है। कई पत्रों में पर्यावरण के लिए खास स्तंभ होते हैं।

पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें हर छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देना होगा। गांव व शहरों में होने वाले वर्जित पदार्थों को सही तरीके से नष्ट करना होगा। जो औद्योगिक प्रतिष्ठान शहरों में अथवा घनी आबादी के बीच हो, उसे शहर से दूर स्थानांतरित करना होगा। सौर उर्जा को बढ़ावा दें और वन संरक्षण और वृक्षारोपण को सर्वाधिक प्राथमिकता दें जिससे पर्यावरण दूषित होने से बच सके। हम वृक्षारोपण से ही पर्यावरण को जीवन दान दे सकें। इसके लिए अब हमें जल्द से जल्द प्रयास करना होगा।

पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें पहले स्वयं हितैषी बनना होगा तभी पूरा भारत देश पर्यावरण संतुलित बन सकेगा। हर एक मनुष्य को पर्यावरण संरक्षण अपना एक कर्तव्य मानकर उसके लिए प्रयत्न करने होंगे। बूंद-बूंद से सागर बन जाता है, वैसे ही हर एक मनुष्य अपना योगदान दे तो पर्यावरण संरक्षण कोई बड़ी बात न होगी और हमें स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण का लाभ मिलेगा।

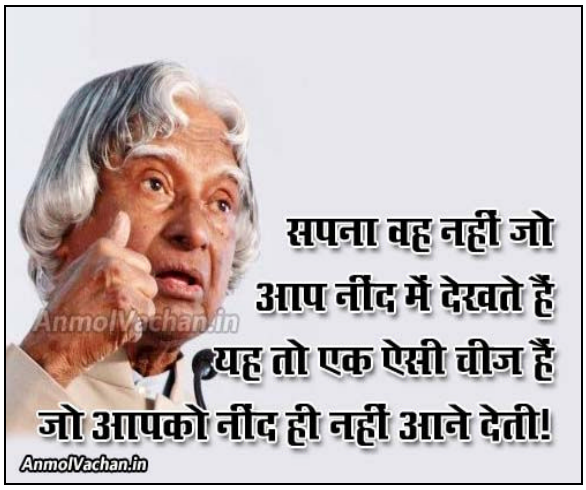

आवारगी का ईश्क

श्री पंकज वर्गी
अवर श्रेणी लिपिक, अहमदाबाद

आवारगी का इश्क रहनुमाई दे रहा है
ख्यालों को हर मोड़ पे ऊंचाई दे रहा है

थक जाता है हर शाम जुनून मेरा
हर सवेरा हौंसला-अफजाई दे रहा है
आवारगी का इश्क रहनुमाई दे रहा है

राहें हजार सामने, खड़ी हैं बाहें खोल के
राहों से राहें जुड़ रही, आगाज की दरकार है
हर राह में हजार रंग, बिखरे यहां मेरे लिए
हर रंग में मौका नया, दिखाई दे रहा है
आवारगी का इश्क रहनुमाई दे रहा है

ठहराव को तलाशती, यहां सबों की जिंदगी
पर मैं हूं बहता पानी, ये खुदखुशी के जैसा
ठहराव से उधार, लिए जिंदगी चला हूं
मकसद नया पुकारता, दुहाई दे रहा है
आवारगी का इश्क रहनुमाई दे रहा है

कोई शख्स है कहीं पे

श्री पंकज वर्गी
अवर श्रेणी लिपिक, अहमदाबाद

ये बात कैसे मानूं, मेरा नहीं हुआ तू
रूह में है गूंथ गया क्यों, एहसास फिर ये तेरा

ख्यालों को मेरे जीता, कोई शख्स है कहीं पे
राहत ये मेरे संग है, सकून है ये मेरा

गर जिंदगी रही और, हम तुम कहीं मिले तो
खुशी न बन सका, मिलूं फिक्र बन के तेरा

गर हो सका मैं कुछ तो, वजह तू मेरी होगी
हौंसला भी तू है, तू रहनुमा है मेरा

ख्याल बन रगों में हम दौड़ते रहेंगे
किसी आंख में बसेगा जहान तेरा मेरा।

बेटी कैसी होती है

श्री विजेन्द्र तिवारी
एम.टी.एस., कोलकाता

यह फूलों जैसी होती है।
पापा की दुलारी होती है।
मम्मी की प्यारी होती है।
हाथों में इसकी रोटी की महक
चुड़ी की खनक, तलवारों की चमक होती है।

बेटी ऐसी होती है
जन्म दिया इन्होने वीरों को
मर्यादा का पाठ पढ़ाकर
देश का मान बढ़ाया
बेटी ऐसी होती है।

पर हाय ! इसी देश के नर पिशाचों ने
कलुषित की इनकी काया
क्या बेटी बहनों को कर कलंकित
लाज इन्हें न आया है?
कर बलिदान अपने इज्जत का
क्षमादान इनको दिया।
पापा-मम्मी और भाइयों का नाम
फिर भी न भुलाया,
बेटी तो ऐसी होती है।
झांसी की रानी, इंदिरा गांधी, सुनीता विलियम्स,
किरण वेदी जैसी होती है।
बेटी ऐसी होती है।

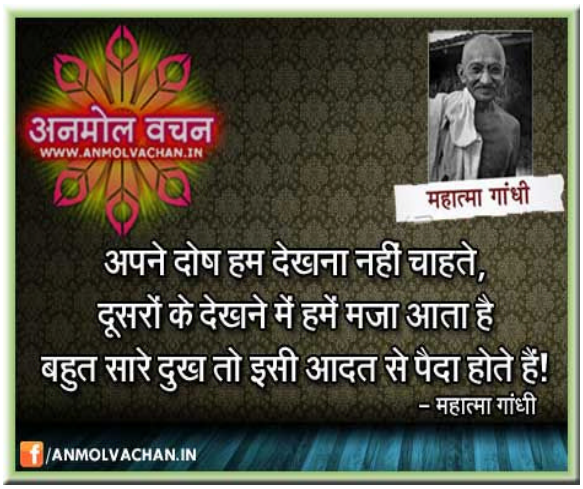

यह कैसी विदाई पापा .....?

श्री राजकुमार मिश्रा
एम.टी.एस., जबलपुर

एक अजन्मी बच्ची मां की कोख से बोलती है।
मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगी पापा।
मैं तो आपके यहां मेहमान बनकर आ रही हूं।
जब तक रहूंगी, आपकी बगिया महकाऊंगी।
दीदी की पुरानी किताबों से पढ़ लूंगी।
दीदी का बचा इब्बा खा लूंगी।
मुझे जाना तो वैसे भी है।
बावुल का आंगन देर-सवेर सभी का छूटता है।
पर मुझे हल्दी, मेंहदी लगाकर बैंड-बाजे के साथ विदा करना पापा।
यह कैसी विदाई पापा.....? पापा हमें यह तो मालूम था कि,
किलकारियों से हमारा स्वागत नहीं होगा, लेकिन इसका तनिक भी अंदाज न था
कि बीच रास्ते में ही हमारा गला घोंट दिया जाएगा।
अभी तो हमनें आपकी गली में प्रवेश ही किया था, घर आंगन तो अभी दूर था।
तभी हमें दूर से ही देखकर आपने हमें, भेड़ियों के आगे डाल दिया।
अभी तो हम आपके देश में आए भी नहीं थे कि आपने देश निकाला दे दिया।
किस जुर्म की ये सजा है पापा?

आज कई दंपति बच्चों को गोद लेने के लिए तरस रहे हैं। उनकी पहली पसंद लड़का नहीं लड़की होती है। आप ऐसे ही किसी परिवार को “कन्यादान” कर देते तो वे आपके कितने कृतज्ञ होते। लेकिन आपने तो कन्यादान की जगह पिंडदान (भ्रूण हत्या) की करके परलोक भेद दिया।

आयकर अपीलीय अधिकरण, कोलकाता
(श्री पी.के. बंसल, लेखा सदस्य एवं श्री महावीर सिंह, न्यायिक सदस्य के समक्ष)
आयकर अपील संख्या 493/कोल/2010
निर्धारण वर्ष 2006-07

देवायन भट्टाचार्या	**बनाम**	**आयकर अधिकारी**
(अपीलार्थी)		**वार्ड 50(3), कोलकाता**
		(प्रत्यर्थी)

सुनवाई की तिथिः 11.06.2015
आदेश के उद्घोषणा की तिथिः 11.06.2015
अपीलार्थी की ओर से – कोई नहीं
प्रत्यर्थी की ओर से – श्री ए. भट्टाचार्जी

आदेश

श्री महावी सिंह, न्यायिक सद्स्य के द्वारा

निर्धारिती का यह अपील आयकर आयुक्त (अपील), XXXII जलपाईगुड़ी के अपील सं. 240/आयकर आयुक्त(अपील)-XXXII/वार्ड 50(3)/08-09/कोलकाता, दिनांक 17.09.2009 के आदेश से उदभूत है। निर्धारण आयकर अधिनियम 1961 के धारा 143(3) के तहत (अब से अधिनियम के नाम से अभिहित किया जाएगा)। निर्धारण वर्ष 2006-07 के दिनांक 16.12.2008 के तहत आयकर अधिकारी वार्ड 50(3), कोलकाता द्वारा तैयार किया गया।

2. निर्धारिती के इस अपील में पहला मुद्दा आयकर आयुक्त (अपील) के उस आदेश के विरूध है जिसमें उन्होने मूल स्त्रोत से कर की कटौती न करने हेतु अधिनियम के धारा 409(ए)(आईए) के उपबंधों का उल्लेख करते हुए विभिन्न वोडाफोन ग्राहकों के प्रीपेड कनेक्शन से संबंधित कमीशन के तौर पर 64900/- की राशि के नामंजूरी का विनिश्चयन किया है। जिसके लिए निर्धारिती ने निम्नलिखित मुद्दे उठाए हैं-

"1. कि मामले के तथ्यों के मददेनजर विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) निर्धारिती द्वारा प्रदत्त व्याख्यान को खारिज करने एवं आयकर अधिनियम 1961 की धारा 40(ए)(आईए) के तहत विभिन्न उपभोक्ताओं के वोडाफोन प्रीपेड संयोग के कमीशन के तौर पर रू. 64900/- की नामंजूरी के विनिश्चयन में गलत एवं अन्यायोचित है। "

3. संक्षेप में तथ्य यह है कि निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 40(ए)(आईए) के उपबंधों का अवलंब लेते हुए वोडाफोन के प्रीपेड संयोग का अवलंब लेते हुए वोडाफोन के प्रीपेड संयोग के कमीशन खर्च के तौर पर मूल स्त्रोत से कर की है कटौती न करने के कारण रू. 64,900/- की राशि को नामंजूरी दी है। इससे अंसतुष्ट होकर निर्धारिती ने आयकर आयुक्त(अ) के समक्ष अपील दायर की जिन्होने निर्धारण अधिकारी के निर्णय की पुष्टि करते हुए निम्नलिखित टिप्पणी की है-
"मैंने निर्धारण अधिकारी के निर्धारण आदेश एवं उनके प्रस्तुतियों का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया। मामले के तथ्यों का परिशीलन करने पर मैंने निर्धारण अधिकारी के दावे में कोई दम नहीं पाया। निर्धारिती ने दावा किया है कि उसने विभिन्न लोगो को कमीशन का भुगतान किया है और प्रत्येक को की गई भुगतान की राशि रू. 2500/- से कम है। परंतु निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत विवरणों से यह देखा जा सकता है कि उक्त कमीशनों का भुगतान निर्धारिती द्वारा 7650/- एवं 27980/- के दो चेकों द्वारा किया गया। साथ ही विभिन्न व्यक्तियों को किए गए भुगतान के दावे की पुष्टि हेतु कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। अतः निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रदत स्पष्टीकरण खारिज किया जाता है और निर्धारण अधिकारी द्वारा नियत रू. 64900/- के नामंजूरी की पुष्टि की जाती है। "

3. हमने विद्वान विभागीय प्रतिनिधि के वक्तव्य को सुना और पाया कि यह मुद्दा आयकर अपीलीय अधिकरण के आयकर अपील संख्या 173/कोल/2012, निर्धारण वर्ष 2008-09, दिनांक 22.05.2015 के श्री असीम मित्रा बनाम आयकर अधिकारी के समन्वित पीठ के निर्णय के आधार पर निर्धारिती के पक्ष में एवं राजस्व के विपक्ष में समाविष्ट है, जिसमें अधिकरण की निम्न मान्यता है-
"6. हमने प्रतिपक्षीय वक्तव्यो को सुना और मामले के तथ्यों एवं पारिपाशर्व का अवलोकन किया। हमने पाया कि निर्धारिती रिलांयस कम्युनिकेशन एवं मैक्रोनेट प्रा.लि. के सिम कार्ड एवं मोबाइल सेट के व्यवसाय में युक्त है। निर्धारिती केवल कमीशन प्राप्त करता है। इस तथ्य के आधार पर हमने पाया कि निर्धारिती डिस्ट्रीब्यूटर एवं रिटेलर के बीच केवल एक एजेंट है और विक्रय पर कमीशन लेता

है। इसमें कोई संदेह नही है कि निर्धारिती को कैफियत संपूर्ण विक्रय के लिए तलब की गई है जबकि वह कमीशन प्राप्ति के तौर पर कार्य कर रहा है। जब निर्धारिती कमीशन के आधार पर कार्य कर रहा है तब मामला निर्धारिती के पक्ष में पूर्णतः आच्छादित है और माननीय उच्च न्यायालय के भारती सेलुलर लि. बनाम आयकर उपायुक्त (2013) 354 आईटीआर 507(कोल) के निर्णय के आधार पर राजस्व के विरूद्ध है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने यह माना है कि निर्धारिती द्वारा चाइजी को किया गया अप्रत्यक्ष भुगतान कमीशन ही है और कमीशन अधिनियम की धारा 194 एच के उपबंधों पर आबद्ध है। निर्धारिती /फ्रेंचाइजी द्वारा रिचाजैबल कुपन और सिम कार्ड कमीशन के तौर पर खरीदा गया, अधिनियम के धारा 40ए(3) के उपबंधों के अवलंब पर कोई नामंजूरी नही की जा सकती। तदनुसार निर्धारिती के अपील का मुद्दा मंजूर किया जाता है। "

उपरोक्त निर्णय के आधार पर चूंकि यह मुद्दा पूर्णतः निर्धारिती के पक्ष में जाता है, हम कमीशन की नामंजूरी को मिटाते हैं और निर्धारिती के अपील के इस मुद्दे को मंजूर करते हैं।

5. निर्धारिती के अपील का अगला मुद्दा आयकर आयुक्त(अ) के उस आदेश के विरूद्ध है जिसमें उन्होने मोटर कार का खर्च, विक्रय संप्रवर्तन खर्च, यात्रा एवं आवागमन, तथा कर्मचारी कल्याण खर्चों की 1/5वें अंश तक मंजूरी का विनिश्चयन किया है। इसके लिए निर्धारिती ने निम्न आधार सं. 2 उठाए हैं।
"2. कि मामले के तथ्यों एवं पारिपाशर्व के मद्देनजर विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) ने मोटर कार खर्च, विक्रय संप्रवर्तन खर्च, यात्रा एवं आवागमन, तथा कर्मचारी कल्याण खर्चों की तदर्थ आधार पर 20 प्रतिशत तक नामंजूरी को बनाए रखने में गलती की है "

6. हमने विद्वान वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि के वक्तव्य को सुना और निम्न प्राधिकरण के आदेशों का अवलोकन किया। हमने पाया कि निर्धारण अधिकारी ने मोटर कार खर्च, विक्रय संप्रवर्तन खर्च, यात्रा एवं आवागमन तथा कर्मचारी कल्याण खर्चों का 30प्रतिशत नामंजूरी दी है क्योंकि ये खर्च केवल अपने द्वारा बनाए गए वाऊचरों से समर्थित थे। आयकर आयुक्त(अपील) ने बिना कोई कारण दिखाए नामंजूरी को 20प्रतिशत तक सीमित रखा। हमारे समक्ष निर्धारिती ने इसका यह कहकर प्रतिवाद किया कि कोई नामंजूरी नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि उक्त खर्चें खुद बनाए गए वाउचरों से किए गए थे और छोटे मोटे खर्च हैं।

इसी कारण हमारा मत है कि इन खर्चों की 10प्रतिशत नामंजूरी पर्याप्त होती। तदनुसार हम आदेश देते हैं।

5. परिणामतः निर्धारिती का अपील अंशतः मंजूर किया जाता है।

6. आदेश खुले न्यायपीठ में उदघोषित।

हस्ता/-	**हस्ता/-**
(पी.के. बंसल)	**(महावीर सिंह)**
लेखा सदस्य	**(न्यायिक सदस्य)**

आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर पीठ, इंदौर
श्री डी.टी. गरासिया, न्यायिक सदस्य
श्री बी.सी. मीना, लेखा सदस्य

आय.अपी.सं. 114/इंदौर/2014
निर्धारण वर्ष 2002-03

में. सिद्धार्थ सोया प्रोडक्टस प्रा.लि., गुड़गाव (अब एडीएम एग्रो इंडस्ट्रीज कोटा एंड अकोल प्रा. लि.), स्थायी ले.सं. एएबीसीएस 9646 एल	**बनाम**	**आयकर उपायुक्त1(1), भोपाल**
अपीलार्थी		**प्रत्यर्थी**

निर्धारिती की ओर से	श्री अजय जे. छाजेड, एडवोकेट
प्रत्यर्थी की ओर से	श्री आर. ए. वर्मा, विभागीय प्रतिनिधि
सुनवाई की तिथि	08.10.2015
उदघोषणा की तिथि	01.12.2015

आदेश

श्री गरसिया, न्यायिक सदस्य के द्वारा

निर्धारिती की यह अपील विद्वान आयकर आयुक्त (अपील-1) भोपाल के आदेश दिनांक 06.11.2013 के विरूद्ध निदेशित है जिसमें आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 271(1)(सी) के अधीन रू. 3,40,000/- की शास्ति की पुष्टि की गई है। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य ये हैं कि निर्धारिती एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कृषि आधारित उद्योग के व्यवसाय में है जिसका साल्वंट एक्सट्रेक्शन प्लांट तथा रिफाइनरी है। निर्धारिती ने निर्धारण वर्ष 2002-03 के लिए उसकी आय की विवरणी 28.10.2002 को अग्रनीत व्यवसाय हानि तथा मूल्यह्रास का मुजरा करने के पश्चात रू. 42,30741/- की आय घोषित करते हुए दाखिल की थी। निर्धारिती कंपनी ने धारा 115 जेबी के अधीन रू. 1,07,47,664/- की आय दर्शायी है। विवरणी पर 21.03.2003 को धारा 143(1) के अधीन कार्यवाही की गई। यह प्रकरण धारा 148 के अधीन नोटिस जारी करके धारा 147 के अधीन पुनः आरंभ किया गया और धारा 147/143(3) के अधीन पुननिर्धारण आदेश दिनांक 20.03.2006 के द्वारा पूर्ण किया गया। धारा 80 एचएचसी के अधीन छूट का दावा रू. 856148/- की सीमा तक अस्वीकृत करने के पश्चात रू. 50,86,889/- की करयोग्य आय निर्धारित की गई तथा धारा 115 जेबी के अधीन मानी गई आय रू. 11603812/- ली गई। निर्धारण अधिकारी ने पाया कि निर्धारिती ने धारा 80 एचएचसी के अधीन छूट रू. 30,27,846/- का दावा किया था। यधपि यह पाया गया कि निर्धारिती को रू. 47,57,465/- की अन्य आय थी जिसके भाड़ा, लाभांश, विविध आय, ब्याज आदि शामिल था और निर्धारिती ने धारा 80 एचएचसी के अधीन छूट की गणना करने हेतु व्यवसाय से लाभ की संगणना करने के लिए इन प्राप्तियों के 90प्रतिशत को नहीं घटाया था। निर्धारण अधिकारी ने तदनुसार धारा 80 एचएचसी(3) के अधीन स्वीकार्य छूट रू. 2171698 पर संशोधित की और इस प्रकार धारा 80 एचएचसी के अधीन छूट रू. 856,148/- रू. (रू. 3027846/-), रू. 2171698/-) अस्वीकृत की। निर्धारण अधिकारी ने धारा 80 एचएचसी के अधीन छूट की रू. 856148/- की सीमा तक अस्वीकृत पर आय के गलत विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अधिनियम की धारा 271(1) के अधीन शास्ति कार्यवाही प्रारंभ की।

3. विद्वान प्राधिकृत प्रतिनिधि ने लिखित निवेदन दाखिल किया जो निम्न रुप से पठित हैः-

“यह विधि की स्थापित प्रतिपादना है कि शास्ति कार्यवाही और निर्धारण कार्यवाही स्वतंभ है और केवल इसलिए कि क्वांटम कार्यवाही में अस्वीकृति गई है इससे यह निष्कर्ष या निर्णय नहीं निकलता कि निर्धारिती क्वांटम कार्यवाही में किए गए ऐसे परिवर्धनों पर दंडित किए जाने योग्य है। शास्ति केवल तब अधिरोपित की जानी है यदि आय या तो छिपाई गई है या किसी आय के संबंध में गलत विवरण प्रस्तुत किए गए हैं। प्रस्तुत तथ्यों पर यह नोट किया जाए कि निरधारिती ने धारा 80 एचएचसी के अधीन रू. 3027846/- का दावा किया था। यद्यपि निर्धारण अधिकारी ने उसकी समझ में इस दावे को रू. 2171698/- तक घटाया है। यह फर्क आय की विभिन्न मदों के लेखे उत्पन्न हुआ जैसा कि निर्धारण आदेश में परिलक्षित किया गया है जिसके 90 प्रतिशत निर्धारण

अधिकारी के अनुसार धारा 80 एचएचसी के अधीन के उद्देश्य से पात्र लाभो से घटाये जाने हैं। निर्धारण अधिकारी के इस मत को उच्चतर प्राधिकारियों द्वारा कायम रखा गया है। यह तथ्य कि प्राप्तियों की ये मदें निर्धारिती द्वारा अर्जित की गई थी और ये व्यवसाय आय में शामिल की गई थी और उनमें से अधिकतर व्यवसाय आय के रुप में कराधीन भी गई थी, विवादाधीन नहीं है। एक मात्र विवाद यह है कि क्या ये मदें धारा 80 एचसीसी के लाभ हेतु शामिल पात्र है या नहीं। निर्धारिती के अनुसार ये सभी मदें पूर्णतः निर्धारिती के व्यवसायिक संव्यवहारों से उत्पन्न हुई थी। प्राप्त निर्यात प्रोत्साहन स्पष्ट रुप से आयकर अधिनियम की धारा 28 के अधीन आती है और ये व्यवसाय आय के रुप में मानी गई है। यद्यपि इस निर्यात व्यय के लिए वित्त अधिनियम द्वारा 2005 के बाद से भूतलक्षी रुप से विभेदक व्यव्हार विनिहित किया गया है। प्राप्त बीमा व्यय भी अन्य मद है जो व्यवसायिक संव्यवहारों से उत्पन्न है और यह अंततः व्यवसाय आय के रुप में कराधीन की गई है। ऐसा ही मामला प्राप्त परिनिर्धारित नुकसानी तथा विक्रय कर प्रतिदाय का है। ये सभी प्राप्तियां निर्धारिती द्वारा किए गए व्यवसायिक संव्यवहारों से उत्पन्न हुई है और इन सबसे मिलकर व्यवसाय आय तैयार हुई है। वहां उस पर कोई विवाद नहीं है। निर्धारिती द्वारा दावा की गई इन प्राप्तियों की प्रकृति पर कोई वाद नहीं है। कि निर्धारिती धारा 80 एचएचसी के अधीन दावे का हकदार है यह भी विवादित नहीं है और निर्धारिती को धारा 80 एचएचसी के अधीन संशोधित/घटाया हुआ दावा स्वीकृत किया गया है। एकमात्र विवाद जैसा कि पहले कथन किया गया है, आय की मदों के संबंध में है जिसका 90 प्रतिशत निर्धारण अधिकारी के मतानुसार घटाया जाना चाहिए था। यद्यपि निर्धारिती के अनुसार ये सभी प्राप्तियां धारा 80एचएचसी के अधीन लाभ के लिए पात्र थी। धारा 80 एचएचसी के अधीन दावे की संगणना चार्टर्ड एकांउटेंट द्वारा प्रमाणित की गई थी जिसने भी उसकी समझ और मत से ये प्राप्तियां धारा 80 एचएचसी के अधीन लाभ/छूट हेतु पात्र होना प्रमाणित किया था। " निर्धारिती दावा करने का विधिक अधिकार है जो निर्धारिती के अनुसार उसके लिए पात्र है। केवल इसलिए कि यह दावा विभाग द्वारा नकारा गया है, यह इसे आय को छिपाने या किसी आय के संबंध में गलत विवरण प्रस्तुत करने की श्रेणी में नहीं रखेगा।

4. विद्वान प्राधिकृत प्रतिनिधि ने इसके अतिरिक्त निर्णयों, माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के आयकर आयुक्त बनाम केपलिन प्वाइंट लेबोरेटरीज लि.(2007) 293आईटीआर 524(मद्रास) तथा मुंबई न्यायपीठ के स्ट्राइडस अक्रोलैब लि. बनाम सहायक आयकर आयुक्त(2011) 40 एसओटी 398 (मुंबई ई न्यायपीठ), सहायक आयकर आयुक्त बनाम परफेक्ट फॉर्जिंग (2011) 143 टीटीजे 117 आयकर अपीलीय अधिकरण, चंडीगढ़ बी न्यायपीठ तथा आयकर आयुक्त बनाम झूम कम्युनिकेशन प्रा.लि. (2010) 327 आईटीआर 0510 (दिल्ली) पर निर्भरता रखी। विद्वान प्राधिकृत प्रतिनिधि ने अंततः यह कथन करते हुए समाप्त किया कि इस मुद्दे पर उपलब्ध विधिक प्रतिपादना की दृष्टि में निर्धारिती पर कोई शास्ति आरोपित नहीं की जा सकती और यांत्रिक तथा नियमित तरीके से अधिरोपित की गई शास्ति खारिज करने का अनुरोध किया गया। विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने निम्न प्राधिकारियों के आदेशों पर निर्भरता रखी।

6. हमने दोनो पक्षों के परस्पर विरोधी निवेदनों को सुना है। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के देखते हुए हमने पाया कि विवादग्रस्त मुद्दा माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के आयकर आयुक्त बनाम केपलिन पाइंट लेबोरेटरीज लिमिटेड के प्रकरण में निर्णय द्वारा आवृत्त है जिसमें माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने अभिधारित किया है कि महज विभिन्न विश्लेषणों पर निर्भरता रखकर धारा 80 एचएससी के अधीन निर्धारिती के दावे की अस्वीकृति आय छिपाने या आय के गलत विवरण प्रस्तुत करने की कोटि में नहीं आयेगा और धारा 271(1)(सी) के अधीन शास्ति अधिरोपित नहीं की जा सकती। हम माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय (उपरोक्त) का आदर पूर्वक अनुसरण करते हुए शास्ति हटाते हैं।

7. परिणामतः निर्धारिती की अपील स्वीकृत की जाती है।

यह आदेश खुले न्यायालय में 01 नवंबर, 2015 को उदघोषित किया गया है।

हस्ता/-	हस्ता/-
(बी.सी. मीना)	(डी.टी. गरसिया)
लेखा सदस्य	न्यायिक सदस्य

दिनांकः 01 नवंबर, 2015

वर्ष 2015 में माननीय सदस्यों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति

क्रम सं.	नाम (श्री/सुश्री/श्रीमती)	पदनाम	पीठ	सेवानिवृत्ति की तिथि
1.	श्री जी.सी. गुप्ता	उपाध्यक्ष	दिल्ली	18.10.2015
2.	श्री रियाज अब्दुल सत्तार पडवेकर	न्यायिक सदस्य	पुणे	08.07.2015
3.	श्री आय.पी. बंसल	न्यायिक सदस्य	मुंबई	14.07.2015
4.	श्री टी.आर. सूद	लेखा सदस्य	चंडीगढ़	07.09.2015
5.	श्री पी. सैमुअल	सहायक पंजीकार	चेन्नै	30.04.2015
6.	श्री आर.एन. मिश्रा	वरिष्ठ निजी सचिव	जयपुर	31.05.2015
7.	श्री मदन पाल	वरिष्ठ निजी सचिव	दिल्ली	30.09.2015
8.	श्री के. पुष्पराजन	वरिष्ठ निजी सचिव	कोचीन	31.12.2015
9.	श्रीमती कमल बंसल	कार्यालय अधीक्षक	जलबपुर	30.04.2015
10.	श्रीमती सरोज बाला	कार्यालय अधीक्षक	चंडीगढ़	31.05.2015
11.	श्री एम. बस्टिया	प्रधान लिपिक	विशाखापट्टनम	31.07.2015
12.	श्री मतवार सिंह	प्रधान लिपिक	दिल्ली	31.10.2015
13.	श्रीमती डी.डी. पोकले	प्रधान लिपिक	मुंबई	31.12.2015
14.	श्री बी.एस. सोनी	उच्च श्रेणी लिपिक	अहमदाबाद	30.10.2015
15.	श्री बी.पी. सिंह	स्टाफ कार ड्राइवर	पटना	30.04.2015
16.	श्री नारायण सिंह	स्टाफ कार ड्राइवर	जबलपुर	31.12.2015
17.	श्री एस.सी. बेरा	वरिष्ठ चपरासी	कोलकाता	31.03.2015
18.	श्री चेतन पुरी	वरिष्ठ चपरासी	जोधपुर	31.12.2015

वर्ष 2014 में प्रकाशित बुलेटिन के सर्वश्रेष्ठ रचना हेतु पुरस्कृत विजेताओं की सूची

क्रम सं.	पुरस्कार	विजेता का नाम	पदनाम
1.	प्रथम	श्री जयशंकर कुमार सिंह	अवर श्रेणी लिपिक, मुंबई
2.	द्वितीय	श्रीमती श्रीदेवी नायर	प्रधान लिपिक, मुंबई
3.	तृतीय	श्री कौशल कुमार,	सहायक पंजीकार, कोलकाता
4.	प्रोत्साहन	श्री अमित कुमार	अवर श्रेणी लिपिक, मुंबई
5.	प्रोत्साहन	श्री दुर्गेश सावरट्कर	सहायक पंजीकार, मुंबई

आ.अ.अ., मुंबई में हिन्दी पखवाड़ा - 2015 के छायाचित्र

हिंदी पखवाड़ा के उदघाटन समारोह में दीप जलाते हुए श्री राजेन्द्र, लेखा सदस्य एवं अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति, मुंबई पीठ

हिंदी पखवाड़ा के उदघाटन समारोह में सभा को संबोधित करते हुए माननीय अध्यक्ष, साथ में माननीय उपाध्यक्ष, श्री डी. मनमोहन, माननीय वरिष्ठ सदस्य, श्री जी.एस. पन्नु तथा माननीय लेखा सदस्य, श्री राजेन्द्र

हिंदी पखवाड़े के उदघाटन समारोह में आयकर अपीलीय अधिकरण, मुंबई पीठ माननीय सदस्यगण, अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण

हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित कवि सम्मेलन में कविता वाचन करते हास्य कवि श्री रोहित शर्मा, साथ में हास्य कवि, श्री प्रकाश पपलू, और शायर श्री पूरन पंकज

हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित कवि सम्मेलन में सभा के साथ हिंदी कविता का आनंद लेते माननीय अध्यक्ष, आयकर अपीलीय अधिकरण, माननीय उपाध्यक्ष, माननीय सदस्यगण एवं अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी गण

हिंदी पखवाड़ा के समापन समारोह में सभा को संबोधित करते हुए माननीय अध्यक्ष, साथ में माननीय उपाध्यक्ष, श्री डी. मनमोहन, तथा माननीय लेखा सदस्य, श्री राजेन्द्र

हिंदी पखवाड़ा में विजित प्रतियोगियों को प्रमाण-पत्र एवं नकद पुरस्कार प्रदान करते माननीय अध्यक्ष, आयकर अपीलीय अधिकरण

हिंदी पखवाड़ा में विजित प्रतियोगियों को प्रमाण-पत्र एवं नकद पुरस्कार प्रदान करते माननीय उपाध्यक्ष, श्री डी. मनमोहन

हिंदी पखवाड़ा में विजित प्रतियोगियों को प्रमाण-पत्र एवं नकद पुरस्कार प्रदान करते माननीय लेखा सदस्य, श्री बी.आर. बास्करन

हिंदी पखवाड़ा में विजित प्रतियोगियों को प्रमाण-पत्र एवं नकद पुरस्कार प्रदान करते माननीय लेखा सदस्य, श्री अश्वनि तनेजा

हिंदी पखवाड़ा में विजित प्रतियोगियों को प्रमाण-पत्र एवं नकद पुरस्कार प्रदान करते माननीय लेखा सदस्य, श्री राजेश कुमार

आयकर अपीलीय अधिकरण, मुंबई पीठ में हिंदी पखवाड़ा के समापन के अंत में राष्ट्रगीत गाते हुए माननीय अध्यक्ष, माननीय उपाध्यक्ष, माननीय सदस्यगण एवं कार्यालय के अधिकारी एवं कर्मचारी गण

सत्यमेव जयते

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (केन्द्रीय कार्यालय) जयपुर

संयोजक : प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक.) राजस्थान, जयपुर

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आयकर अपीलीय अधिकरण, जयपुर

ने वर्ष 2014-15 के लिये राजभाषा हिन्दी में

सर्वाधिक कार्य के लिये सांत्वना (ख वर्ग) पुरस्कार प्राप्त किया।

सचिव

अध्यक्ष

आयकर अपीलीय आधिकरण, जयपुर पीठ को राजभाषा कार्यान्वयन के श्रेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (केन्द्रीय कार्यालय) जयपुर द्वार प्रदान किया गया प्रमाण पत्र।

प्लेटिनम जुबली समारोह के दौरान लिया गया सदस्यों के समूह तस्वीर